



Dr. Surender Singh
Joint Secretary



UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

(Ministry of Human Resource Development)

NET Bureau, University of Delhi, South Campus,

Benab Jearez Marg, New Delhi-110021

Ph.: 011-24115419, Telefax: 011-24112276

email: ssingh.ugc@nic.in

JRF AWARD LETTER

10 FEB 2017

No. F.15-6(DEC. 2015)/2016(NET)

UGC-Ref. No.: 17864(OBC)/NET-DEC. 2015)

NARESH KUMAR
S/O SHANKAR MANDAL,
C/O ANB SERVICES, KISAN BHAVAN, SHIVAJI
NAGAR, NEW BYPASS, PATNA, PATNA, BIHAR - 800020, India



Roll No.: 83023187

Subject: Physical Education

Dear Candidate,

You had applied in the UGC-NET held on 27th December, 2015 for Junior Research Fellowship in the OBC category. I am pleased to inform you that you have qualified by securing marks at par with qualifying cut-off for OBC category. The tenure of the fellowship is five years and it commences from the date of declaration of NET result, i.e., 11th April, 2016 (or) from the date of Registration under M.Phil/Ph.D. (or) from the date of joining in M.Phil/Ph.D. programme, whichever is later. The summary of the financial assistance offered under the scheme is mentioned in Annexure I (all Annexures mentioned in this letter are available on www.ugc.ac.in/netjrf).

The Awardee is required to get admission and registration for regular and full time M.Phil/Ph.D. course in a University/Institution/College recognized by the UGC at the first available opportunity but not later than two years from the date of issue of this award letter. The University/Institution/College is requested to process for the award of JRF based on this letter, in accordance with the procedure available on www.ugc.ac.in/netjrf.

It may be noted that the fellowship amount shall be disbursed through Canara Bank to the bank account of the Awardee, (any bank) directly. The list of designated branches of Canara Bank is available on the UGC portal www.ugc.ac.in. The Awardee is required to approach the designated branch along with a copy of the Award letter, Joining Report, Annexure II and an undertaking Annexure II (a). The Awardee is also required to submit the following documents to the designated branch of the Canara Bank at the stipulated period/interval:

1. At the end of every three months a 'Continuation Certificate' in the prescribed proforma Annexure III. This will make the Awardee eligible to draw the fellowship for the next three months.
2. Half yearly Progress Report in the prescribed proforma Annexure IV along with the 'Continuation Certificate'.
3. Details of the expenditure incurred out of the contingency grant to be submitted annually in the prescribed proforma Annexure V.
4. The claim towards HRA is subject to the submission of HRA certificate in the prescribed proforma Annexure VI.
5. After the completion of two years of award of fellowship an 'Upgradation Certificate' needs to be submitted in the prescribed proforma Annexure VII along with Progress Report and Continuation Certificate.

It may also be noted that UGC has proposed to link "AADHAAR" with student's bank account number so that there can be direct cash transfer and effective disbursement of fellowship into the bank account of the student. In this regard Secretary, UGC has already requested the universities to help the students in Aadhaar Enrolment vide his D.O. letter No. F.14-34/2011 (CPP-II) dated 11.01.2013.

It may please be noted that the award is liable to be cancelled and it will also attract legal action against the Awardee in the following cases:

- i) If the Awardee is found to be ineligible to receive the award at any point of time during the entire duration of the fellowship.
- ii) Misconduct of Awardee.
- iii) Unsatisfactory progress of research work of the Awardee.
- iv) In case, any other fellowship is drawn from other source(s).
- v) Concealment of facts or on any other ground of misconduct.

In order to provide easy accessibility, all the details of the scheme, its requirements, all the prescribed proformas for submission of the documents along with the details of the designated branches of Canara Bank are available on the UGC portal www.ugc.ac.in/netjrf.

The e-Certificate of eligibility for Assistant Professor has already been uploaded on www.ugcnetonline.in. The category and eligibility of the candidate is to be ensured by the institution/appointing authority.

With best wishes,

(Surender Singh)

जिला विद्यालय निरीक्षक
बिजनौर

प्रेषक
सेवा में

प्रबन्धक
आदर्श ग्रामीण ईओ काठ बन्दक विजनौर

/2017-18 दिनांक- 16/09/2017

पत्रांक: मा0 - चयन बोर्ड /
विषय- उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के अधीन प्रशिक्षित स्नातक शारीरिक शिक्षा (वर्ग-1) के पद पर चयन बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने के संबंध में।

महोदय,
उपर्युक्त विषयक, सचिव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद के पत्रांक: मा0/01/चयन-पैनल/4068-4125/2017-18 दिनांक 09.08.2017 के द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2013 के प्रति विज्ञापन संख्या मा0शि0-थ0बो0/1368/2017-18 सेनांक 08.08.2017 (वर्ग-01 सामान्य जाति) के द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम (12) के नियम (8) तथा (10) के अधीन आपकी संस्था में प्रशिक्षित स्नातक शारीरिक शिक्षा (वर्ग-1) के रिक्त पद के प्रति चयनित अभ्यर्थी का पैनल प्राप्त कराया गया है। अतः आपका निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त नियमावली के नियम (13) के खण्ड (एक) (दो) (तीन) के अधीन यथा स्थिति अपेक्षित कार्यवाही करते हुए नियम (13) के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी को नियमानुसार नियुक्ति पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से निर्गत कर कार्यभार ग्रहण कराये। कार्यभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी के सभी शैक्षिक योग्यता/अनुभव/स्वस्थता आदि प्रमाण-पत्र का मूली मूर्ति परीक्षण कर लिया जाये यदि कोई भिन्नता हो या सदिग्धता हो तब अपने स्तर से जांच कराकर कार्यवाही करे। यह भी मूली मूर्ति जांच के लिये उसी संस्था में जिस जाति श्रेणी में चयन हुआ है उसी जाति के अभियोजन प्रेषित किया गया है तथा पद रिक्त है। किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पद पर कार्यभार ग्रहण न कराया जाये। यदि संस्था में पद के प्रति किसी मन्वीय न्यायालय द्वारा कोई आदेश दिये गये है तब उनका पालन किया जाये। शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक सामान्य (1) शि0/9861-9935/2016-17 दिनांक 29 नवम्बर 2016 के अनुपालन में यह भी निर्देशित किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने के पश्चात उनके शैक्षिक प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कराने के उपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही की जाये, किसी भी विसंगति के लिए विद्यालय प्रबन्धकन उत्तरदायी होगा।

पैनल सूची का क्रमांक	आर्वाहता संस्था का नाम	चयनित अभ्यर्थी का नाम / पिता का नाम / पता	वेतनक्रम / पदनाम / जाति / वर्ग
1	2	3	4
1/56	आदर्श ग्रामीण ईओ काठ बन्दक विजनौर	श्री जितेन्द्र सिंह, पिता श्री काली प्रसाद सिंह शु0-हाटवा, पो0-धीनपुर, जिला-इलाहाबाद-212551 अनुक्रमांक- 021601372	प्रशिक्षित स्नातक शारीरिक शिक्षा सामान्य जाति, वर्ग-01 भवदीय

(राजेश कुमार)
जिला विद्यालय निरीक्षक
बिजनौर
तददिनांक

पु0 सं0 - मा0 - चयन बोर्ड / 0134-38 /2017-18

- प्रतििलिपि-निम्नांकित की सेवा में सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- सचिव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद को पत्र दिनांक 09.08.2017, 11.08.2017 एवं 08.09.2017 के अनुपालन में।
 - 2- माध्यमिक संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार, इलाहाबाद।
 - 3- जिला एवं जिलाधिकारी, कार्यलय जिला विद्यालय निरीक्षक, बिजनौर।
- संबन्धित उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी को उनके वेतन के अतिरिक्त अपने अपने मूल प्रमाण-पत्रों सहित विद्यालय प्रबन्धक के समक्ष उपस्थित होकर नियमानुसार कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।

जिला विद्यालय निरीक्षक
बिजनौर

Tuglakabad Extn.-SBV (Sardar Vallabhbhai Patil)-1925007
Directorate of Education, Delhi
(Govt. of NCT of Delhi)
Joining Order

Order No.: F.NO.A/E-IV/RECT./PETR CODE 210/14/2018PT. F-1/944-955

Appointment Date: 29/09/2018

Mr./Ms. **MANDRANJAN KUMAR -20182013** has joined at Tuglakabad Extn.-SBV (Sardar Vallabhbhai Patil)-1925007

PET on 29/09/2018


Principal
SVBP SBV
Tuglakabad Extn. N. Delhi-19

Endorsement No.: F.NO.A/E-IV/RECT./PETR CODE 210/14/2018PT. F-1/944-955

Copy Forwarded to:-

- 1) Employer Concerned
- 2)RO Concerned
- 3)DO Concerned
- 4)SD Concerned
- 5)AO (Estt./GDC) Concerned
- 6)AO (Accounts) Accounts Branch
- 7)WAO Concerned
- 8)Offices Concerned
- 9)Offices (Computer Cell), Dir. of Education
- 10)Concerned Employee's Personal File
- 11)S.S. To Dir. of Education
- 12)PS To Secondary Education
- 13)Guard File
- 14) Services Department
- 15) Collection Department

Principal
SVBP SBV
Tuglakabad Extn. N. Delhi-19
School ID 1925007


Principal
SVBP SBV
Tuglakabad Extn. N. Delhi-19

Principal
SVBP SBV
Tuglakabad Extn. N. Delhi-19
School ID 1925007

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

क्षेत्रीय कार्यालय

REGIONAL OFFICE

लोहियानगर, कंकड़बाग

P.O.: Lohia Nagar, Kankarbagh

पटना - 800 020



Patna - 800 020 (Bihar)

No.F.28053/^{TS}PRT/2017-KVS PR(Admn) 904-05

Dated: 06.10.2017

REGISTERED/ SPEED POST

MEMORANDUM

SUB: - OFFER OF APPOINTMENT TO THE POST OF TRAINED GRADUATE TEACHER

With reference to his/her application for the above post, Sh./Smt./Km. **MUKESH KUMAR MISHRA**, is hereby informed that he/she has been selected for appointment against a temporary post of **TGT (P & HE)** in the Kendriya Vidyalaya Sangathan in the pay matrix (in the entry cell no. 1) **LEVEL 7 (SEVEN)** (7th CPC) corresponding grade pay of **Rs. 4600/-** (6th CPC) and posted at the Kendriya Vidyalaya **RAU PUSA**, in **PATNA** Region under **EAST** zone. He/she will draw allowances and other benefits in addition to pay at rates as admissible to the Kendriya Vidyalaya Sangathan employees. This offer of appointment is subject to the candidate being declared fit for the post of **TGT (P & HE)** by a Civil Surgeon.

2. If the candidate is a woman, she should certify that she is not in the family way at the time of acceptance of the appointment. If, however, she is pregnant of twelve weeks standing or more as a result of medical test at the time of acceptance of appointment, it will be open to candidate herself to seek exemption from joining the appointed post for the duration till her confinement is over, if she so desires. Furthermore, the affected woman candidate, in such a situation, who expresses her willingness to join, may be asked to produce a certificate of fitness from CMO of Govt. Hospital that she is fit to carry out the assigned work in her present state.

3. No TA/DA will be admissible for first joining the Sangathan as **TGT (P & HE)**.

4. He/she will be on probation for a period of 02 years which may be extended. Upon successful completion of probation, he/she will be confirmed as per the Kendriya Vidyalaya Sangathan rules.


5. During the probation and thereafter, until he/she is confirmed, the services of the appointee are terminable by one month notice on either side without any reason being assigned, thereof. The appointing authority, however, reserves the right to terminate the services of the appointee before expiry of the stipulated period of notice by making payment of sum equivalent to the pay & allowances for the period of notice of the unexpired portion thereof.

6. Other terms and conditions of service governing the appointment are as laid down in the Education Code for Kendriya Vidyalayas amended from time to time. A Welfare Scheme namely Kendriya Vidyalaya Sangathan Employees Welfare Scheme has been introduced from 01.4.2002. Joining the above scheme is compulsory.

7. He/she will be eligible for the new Restructured Defined Contribution Pension Scheme only as circulated by KVS (HQ) vide circular No.2-17/2003-04/KVS(Budget) dated 08/12.03.2004 and F. 2-17/2003-04/KVS(Budget) dated 24.12.2004.

8. The appointment is provisional and is subject to the certificate(s) of Scheduled Caste/Scheduled Tribe etc. Other Backward Classes/Physically Handicapped/ Blind being verified through the proper channel. If the verification reveals that the claim to SC/ ST/ OBC/PH/Blind as the case may be, is false, the services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code for production of false certificates.

9. He/ she will fill up the character and antecedents verification form along with recent photograph and will handover the same to the Principal concerned.
10. In case of any dispute or claim against the Kendriya Vidyalaya Sangathan, in respect of service or any contract arising out of or flowing from this offer of appointment, the Courts of Delhi alone shall have jurisdiction.
11. The NCTE has clarified that "candidates having professional qualification of B.Ed. were eligible for appointment as teacher to teach classes from I to V upto 01.01.2012 only provided they undergo, after appointment, an NCTE recognized 6 months special programme in elementary education".
12. If he/she accepts the offer on the terms and conditions stipulated above, he/ she should join the Kendriya Vidyalaya mentioned overleaf on or before **21.10.2017**. Necessary proforma for the purpose are enclosed which should be submitted to the Principal concerned, after getting the same duly completed at the time of joining. If the offer is not accepted or the appointee does not report for duty at the above named Vidyalaya by **21.10.2017**, this offer of appointment will automatically stand cancelled and no further correspondence will be entertained from him/ her.
13. Suppression of any information will be considered a major offence for which the punishment may extend to dismissal from the services.
14. He/she will not request for transfer within three years of initial appointment or as per the Kendriya Vidyalaya Sangathan transfer guidelines amended from time to time.
15. He/she has been allotted **East** zone.
16. For subsequent promotion, the incumbent will have to acquire academic and professional degree from recognized University, as per application rules and regulations.


(DR. JYOTI VARMA)
DEPUTY COMMISSIONER

Encl. As above.


Sh./Smt./Km **MUKESH KUMAR MISHRA**

S/o-Subhash Chandra Mishra

Vill-Mahakni, Po-Katramedniganj, Pratapgarh, UP-230131

Copy forwarded to :-

1. The Principal, Kendriya Vidyalaya, X.X.X. In case Sh/Smt/Ms. ...X.X.X:..... accepts the offer of appointment, he/she should be relieved immediately with the instructions to join his/her new post under intimation to the concerned Principal/RO. If the appointee is not working at present in this Vidyalaya, this memorandum may be sent to the concerned Vidyalaya forthwith under intimation to RO and Sangathan (HQ).
2. The Principal, Kendriya Vidyalaya, **RAU PUSA** The date of joining of the candidate may be intimated to this office as well as KVS(Hqrs)New Delhi through E-Mail (E-Mail ID of KVS Hqrs kvs_e2@yahoo.co.in) immediately after the candidate reports for duty. In case he/she does not join by the stipulated date, this office should be informed accordingly on e-mail. This appointment is further subject to production of certificates etc., as per Article 46 of Education Code for Kendriya Vidyalayas. The candidate be allowed to join his/ her duties only after verification of the eligibility and educational qualification etc from their original certificates, and on submission of requisite forms/ statements duly completed in all respects. Those appointed under SC/ST/OBC/PH/Blind quota may be allowed to join duties only on production of original certificate mentioned in para 8 of the order. Principals are also requested to check the original certificates in respect of the qualifications of the appointee employees and satisfy themselves that the appointee possesses requisite qualification for the post he/ she is appointed to.


DEPUTY COMMISSIONER



**SPORTS AUTHORITY OF INDIA
(COACHING DIVISION)**

Jawaharlal Nehru Stadium Complex
East Gate No. 10 Lodhi Road
New Delhi- 110003

F. No. 38-1/39/SAI/CD/Rectt./2016

Date: 17/10/2017

To

Roll. No. : 201040036(BOXING)
Name : SIKANDAR PATEL
Father's Name: HARIHAR PATEL
Address :

*Barabas Public School
Rashtrakar Bihar Colony
Simra Ghat Lanka-Varanasi (UP)
PIN- 221005*

Subject: Offer of Appointment as Assistant Coach in PB-2 Rs. 9300-34800/- + Grade Pay Rs. 4200/-, in Sports Authority of India (SAI).

Sir/Madam,

Based on the Notification No. 2/2016 published in the Employment News 12th-18th November, 2016 issued for the appointment of coaches at Sports Authority of India in the grade of Assistant Coach in the pay band - II (Rs.9300-34800+GP Rs.4200/- (Pre-revised)) and subsequent to the Written Test, Physical/Skill Test and Interview, the Director General, Sports Authority of India is pleased to offer you the post of Assistant Coach in Sports Authority of India, at the minimum of the pay scale. In addition to the scale, you will be entitled to other allowance as applicable to the employees of your grade in Sports Authority of India.

2. You shall not be eligible for appointment if you have entered into or contracted a marriage with person having a spouse living or having a spouse living, have entered into or contracted a marriage with any person. However, the Sports Authority of India, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there is a declaration as per the proforma enclosed.

3. You will be governed by the New Pension Scheme introduced by the Govt. of India & applicable to the employees of this Authority as amended from time to time.

4. You will be governed by the LIC Group Saving Linked Insurance Scheme applicable in SAI from time to time.

Contd...2/-



**SPORTS AUTHORITY OF INDIA
(COACHING DIVISION)**

Jawaharlal Nehru Stadium Complex
East Gate No. 10 Lodhi Road
New Delhi- 110003

F. No. 38-1/39/SAI/CD/Rectt./2016

Date: 17/10/2017

To

Roll. No. : 201040036(BOXING)
Name : SIKANDAR PATEL
Father's Name: HARIHAR PATEL
Address :

*Bansas Public School
Bansas Vihar Colony
Somni Ghat Lanka-Varanasi (UP)
PIN- 221005*

Subject: Offer of Appointment as Assistant Coach in PB-2 Rs. 9300-34800/- + Grade Pay Rs. 4200/-, in Sports Authority of India (SAI).

Sir/Madam,

Based on the Notification No. 2/2016 published in the Employment News 12th-18th November, 2016 issued for the appointment of coaches at Sports Authority of India in the grade of Assistant Coach in the pay band - II (Rs.9300-34800+GP Rs.4200/- (Pre-revised)) and subsequent to the Written Test, Physical/Skill Test and Interview, the Director General, Sports Authority of India is pleased to offer you the post of Assistant Coach in Sports Authority of India, at the minimum of the pay scale. In addition to the scale, you will be entitled to other allowance as applicable to the employees of your grade in Sports Authority of India.

2. You shall not be eligible for appointment if you have entered into or contracted a marriage with person having a spouse living or having a spouse living, have entered into or contracted a marriage with any person. However, the Sports Authority of India, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there is a declaration as per the proforma enclosed.

3. You will be governed by the New Pension Scheme introduced by the Govt. of India & applicable to the employees of this Authority as amended from time to time.

4. You will be governed by the LIC Group Saving Linked Insurance Scheme applicable in SAI from time to time.

Contd...2/-

5. You will not be entitled to any TA/DA for joining the duty.
6. You will be required to serve anywhere in India.
7. You will be on probation for a period of two years, which can be extended by the appointing authority at its discretion. If during the period of probation you are found unsuitable for holding the post, the appointing authority may terminate your service without notice and assigning any reason thereon.
8. Your appointment is subject to verification of your character and antecedents to the satisfaction of this Authority.
9. The appointment will be further subject to:
 - (i) Production of a Certificate of Medical Fitness, In the case of Male Candidate, a Civil Surgeon of a District Medical Officer or a Medical Officer of equivalent status and in the case of Female Candidate appointed to a post (i) in Delhi, the Assistant Surgeon Grade -1 (Woman), under the Central Government Health Scheme and (ii) in any other place, a registered Female Medical Practitioner possessing a medical qualification included in one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), Indian Medical Central Act, 1970 and Homeopathy Central Council Act, 1973.
 - (ii) Taking an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India (or making a solemn affirmation to that effect) in the prescribed form.
 - (iii) Production of the following original certificates for verification.
 - (a) Certificate of Educational and other Technical qualification.
 - (b) Certificate of age proof.
 - (c) Attestation form in quadruplicate (copy enclosed) duly filled in with the identity certificate and also a certificate of character in the form prescribed from two gazette officer duly attested by a District Magistrate or Sub-Divisional Magistrate or 1st class Magistrate. This certificate should be sent along with your letter of acceptance.
 - (d) Discharge certificate from you previous employment, if any.
 - (e) Evidence of your being a Citizen of India.
 - (f) Caste Certificate, if belong to SC/ST and OBC category in prescribed form (Format enclosed) issued by the Competent Authority empowered to issue the caste certificate. The appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificates beings verified through the proper channels and if the verification reveals that the claim to belong to Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Other Backward Class, as the case may be is false the services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal code for production of false certificates.


Contd...3/-

10. You will be governed by the Service Bye-Laws and other rules and regulations of this Authority as amended from time to time.

11. In case, it is found after scrutiny of your qualification and age limit etc. that you do not possess the requisite qualifications and satisfy the age limit for the said post the offer of appointment made to you in this letter will be cancelled at any time after the above fact comes to the notice of this office.

12. In case, it is found later that any of the certificates produced by you is false/forged, the services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as shall be taken under the provisions of the Indian Penal code for production of false certificates.

13. If the above terms and conditions are acceptable to you, please communicate your acceptance immediately along with attestation form duly complete in all respect in quadruplicate to the undersigned at Sports Authority of India, Jawaharlal Nehru Stadium Complex, East Gate No- 10, Lodhi Road, New Delhi - 110003 on or before 31st October, 2017 and please get yourself medically examined on the basis of this offer and report for duty to the undersigned along with medical fitness certificate, on 06th November, 2017 at Sports Authority of India, Head Office, Jawaharlal Nehru Stadium Complex, East Gate No- 10, Lodhi Road, New Delhi - 110003, failing which this offer would be treated as cancelled.


[Sanjeev Sharma]
Director (Coaching)

Copy to:

1. AD to DG, SAI
2. SPA to DDG, SAI
3. Personnel File.

NOTE: Download Attestation Form from Sports Authority of India (SAI) website.





Tel : 2804543

SARDAR VALLABH BHAI PATEL SBV

Taghatakalal Examination, New Delhi-110 019

School Code : 1925007

Date: 28/01/2018

Certificate

It is certified that Mr. Manojan Kumar
is working as P.T. (GAT) since 29-08-18

Mr. Manojan Kumar

ID No - 20182013

Sgt -

Principal
SVBP SBV
T-3 Extn. N Delhi-19
School ID 1925007



Principal
P SBV
N Delhi-19
School ID 1925007

पत्रक,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
देवरिया।

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,
शहीद मधुवन करादम इकाओ खोरीबारी,
देवरिया।

पत्रांक/घ0बो0/

/2020-21

दिनांक-15-11-2021

विषय- विज्ञापन संख्या-01/2021 प्रशिक्षित स्नातक शारीरिक शिक्षा वर्ग-01 एवं 02 पदों के प्रति उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली-1998 के नियम-12 उपनियम(1) तथा (10) के अधीन निर्मित प्रशिक्षित स्नातक शारीरिक शिक्षा लिए उपर्युक्त अभ्यर्थियों का पैल 12(1) के अधीन कार्यभार ग्रहण कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सधिव, उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज के पत्रांक/4067-4144/चयन/123-2021/2020-21 दिनांक 08-11-2021 के साथ संलग्न विज्ञापन संख्या-01/2021 के साथ जारी स्नातक शारीरिक शिक्षा विषय की पैल के सूची कोड संख्या-450 पर अंकित चयनित अभ्यर्थी जिनका विवरण निम्नवत है:-

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	श्रेणी	विषय	विद्यालय का नाम	अभ्यर्थी का पूरा पता
0910024494	ANIMESH KUMAR	RAJESH KUMAR	SC	PHYSICAL EDUCATION	S M K INTER COLLEGE KHORIBARI DEORIA	RAJESH KUMAR, KAITHOLA, RANIGANJ, PRATAPGARH, UP-229410

उक्त आदेश के अनुपालन में चयनित अभ्यर्थी को अपने विद्यालय में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज द्वारा निर्गत नियमावली के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी के समस्त शैक्षिक प्रमाण-पत्रों की जाँच/मिलान आप स्वयं उनके मूल प्रमाण-पत्रों से करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण कराये। कार्यभार ग्रहण की सूचना अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये। शिक्षा निदेशक(मा) के पत्रांक/शिविर/30305-30405/2020-21 दिनांक 25-01-2021 के अनुपालन में चयनित अभ्यर्थी के अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन अपने स्तर से कराये तथा चयनित अभ्यर्थी से निम्न विवरणानुसार शपथपत्र प्राप्त कर अपना शपथपत्र के साथ सत्यापन आख्या कार्यालय को प्रस्तुत करें।

" मैं (____नाम/पिता का नाम/पता____) प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत चयन से सम्बन्धित समस्त अनिलेख/तथ्य पूर्णतया सत्य है। यदि कोई अनिलेख कूटस्थ/फर्जी पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति/चयन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उक्त के कारण यदि मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता में प्राविधानित सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।"

अस्तु आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराये। कार्यभार ग्रहण न कराये जाने की दशा में विद्यालय प्रबन्धक/तंत्र दोषी माना जायेगा और उसके विरुद्ध उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज द्वारा स्थापित नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धक/तंत्र का होगा।

भवदीय,

(श्रेण्ड कुमार गुप्ता)
जिला विद्यालय निरीक्षक,
देवरिया।

पत्रांक/घ0बो0/ 8111-16

/2020-21

तद्दिनांकित।

प्रतिनिधि-पंजीकृत-पत्र निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-सधिव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज।
- 2-शिक्षा निदेशक(मा) उत्तर प्रदेश, शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 3-संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम मण्डल, गोरखपुर।
- 4-वित्त एवं लेखाधिकारी(मा)शिक्षा कार्यालय-जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया।
- 5-ANIMESH KUMAR, KAITHOLA, RANIGANJ, PRATAPGARH, UP-229410

जिला विद्यालय निरीक्षक
देवरिया

पत्रक,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
देवरिया।

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,
शहीद मधुवन करादम इ०का० खोरीबारी,
देवरिया।

पत्रांक/घ०बो०/

/2020-21

दिनांक-15-11-2021

विषय- विज्ञापन संख्या-01/2021 प्रशिक्षित स्नातक शारीरिक शिक्षा वर्ग-01 एवं 02 पदों के प्रति उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली-1998 के नियम-12 उपनियम(1) तथा (10) के अधीन निर्मित प्रशिक्षित स्नातक शारीरिक शिक्षा लिए उपर्युक्त अभ्यर्थियों का पैल 12(1) के अधीन कार्यभार ग्रहण कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सधिव, उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज के पत्रांक/4067-4144/चयन/123-2021/2020-21 दिनांक 08-11-2021 के साथ संलग्न विज्ञापन संख्या-01/2021 के साथ जारी स्नातक शारीरिक शिक्षा विषय की पैल के सूची के क्रमांक-450 पर अंकित चयनित अभ्यर्थी जिनका विवरण निम्नवत है:-

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	श्रेणी	विषय	विद्यालय का नाम	अभ्यर्थी का पूरा पता
0910024494	ANIMESH KUMAR	RAJESH KUMAR	SC	PHYSICAL EDUCATION	S M K INTER COLLEGE KHORIBARI DEORIA	RAJESH KUMAR, KAITHOLA, RANIGANJ, PRATAPGARH, UP-229410

उक्त आदेश के अनुपालन में चयनित अभ्यर्थी को अपने विद्यालय में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज द्वारा निर्गत नियमावली के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी के समस्त शैक्षिक प्रमाण-पत्रों की जाँच/मिलान आप स्वयं उनके मूल प्रमाण-पत्रों से करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण कराये। कार्यभार ग्रहण की सूचना अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये। शिक्षा निदेशक(मा०) के पत्रांक/शिविर/30305-30405/2020-21 दिनांक 25-01-2021 के अनुपालन में चयनित अभ्यर्थी के अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन अपने स्तर से कराये तथा चयनित अभ्यर्थी से निम्न विवरणानुसार शपथपत्र प्राप्त कर अपना शपथपत्र के साथ सत्यापन आख्या कार्यालय को प्रस्तुत करें।

" मैं (_____नाम/पिता का नाम/पता) प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत चयन से सम्बन्धित समस्त अनिलेख/तथ्य पूर्णतया सत्य है। यदि कोई अनिलेख कूटरचित/फर्जी पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति/चयन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उक्त के कारण यदि मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता में प्राविधानित सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।"

अस्तु आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराये। कार्यभार ग्रहण न कराये जाने की दशा में विद्यालय प्रबन्धक(तंत्र) दोषी माना जायेगा और उसके विरुद्ध उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज द्वारा स्थापित नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धक(तंत्र) का होगा।

भवदीय,

(श्रेण्ड कुमार गुप्ता)
जिला विद्यालय निरीक्षक,
देवरिया।

पत्रांक/घ०बो०/ 8111-16

/2020-21

तद्दिनांकित।

प्रतिनिधि- (पंजीकृत-पत्र) निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-सधिव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज।
- 2-शिक्षा निदेशक(मा०) उत्तर प्रदेश, शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 3-संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम मण्डल, गोरखपुर।
- 4-वित्त एवं लेखाधिकारी(मा०)शिविर कार्यालय-जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया।
- 5-ANIMESH KUMAR, KAITHOLA, RANIGANJ, PRATAPGARH, UP-229410

जिला विद्यालय निरीक्षक
देवरिया

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

तिनसुकिया संभाग

ऑइल कैंपस दुलियाजान

जिला : डिब्रुगढ़ - 786002 (असम)

दूरभाष : 0374-2800031, फैक्स : 2800091

वेबसाइट: www.kvsrotinsukia.org

ई-मेल: newkvstinsukia@gmail.com



KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

TINSUKIA REGION

OIL CAMPUS DULIAJAN

DIST.: DIBRUGARH -786002 (ASSAM)

TEL: 0374-2800031, FAX: 0374-2800091

WEBSITE - www.kvsrotinsukia.org

E-mail ID - newkvstinsukia@gmail.com

F.42054/PGT/2016-17/KVS (RO)/TSK/Admn./5255

Date: 19.09.2016

E.MAIL/ SPEED POST

MEMORANDUM

SUB: OFFER OF APPOINTMENT TO THE POST OF TGT (P&HE) IN KVS.

1. With reference to his application for the above post, Shri Chandrapratap Singh is hereby informed that he has been selected for appointment against a temporary post of TGT (P&HE) in the Kendriya Vidyalaya Sangathan in the Pay Scale of Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs.4600 (PB-II) and posted at the Kendriya Vidyalaya, Gerukamukh, Assam. He will draw allowances and other benefits in addition to pay at rates as admissible to the Kendriya Vidyalaya Sangathan employees. This offer of appointment is subject to the candidate being declared fit for the post of TGT (P&HE) by a Civil Surgeon.
2. If the candidate is a woman, she should clarify that she is not in the family way at the time of acceptance of the appointment. If However, she is pregnant of twelve weeks standing or more at the time of acceptance of appointment as a result of medical test, it will be open to candidate herself to seek exemption from joining the appointed post for the duration till her confinement is over, if she so desires. Furthermore, the affected woman candidate in such a situation who expresses her willingness to join may be asked to produce a certificate of fitness from CMO of Govt. Hospital that she is fit to carry out the assigned work in her present state.
3. No TA/DA will be admissible for first joining the Sangathan as TGT (P&HE)
4. He will be on probation for a period of 02 years from the date of appointment which may be extended. Upon successful completion of probation, he will be confirmed as per the Kendriya Vidyalaya Sangathan rules.
5. During the probation and thereafter, until he is confirmed, the services of the appointee are terminable by one month's notice on either side without any reason being assigned, thereof. The appointing authority, however, reserves the right to terminate the services of the appointee before expiry of the stipulated period of notice by making payment of sum equivalent to the pay & allowances for the period of notice of the unexpired portion thereof.
6. Other terms and conditions of service governing of the appointment are as laid down in the Education Code for Kendriya Vidyalaya Sangathan Employees amended from time to time. A Welfare Scheme namely Kendriya Vidyalaya Sangathan Employees Welfare Scheme has been introduced from 01.04.2002. Joining the above scheme is compulsory.
7. He will be eligible for the new Restructured Defined Contribution Pension Scheme only as circulated by KVS (HQ) vide circular No.2-17/2003-04/KVS(Budget) dated 08/12.03.2004 and F.2-17/2003-04/KVS(Budget) dated 24.12.2004.
8. The appointment is provisional and is subject to the Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificate/Other Backward Classes /physically handicapped/ Blind being verified through the proper channel. If the verification reveals that the claim to SC/ST/OBC/PH/Blind as the case may be, is false, the services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code for production of false certificates.

9. He will fill up the character and antecedents verification form along with recent photograph and will hand over the same to the Principal concerned.
10. In case of any dispute or claim against the Kendriya Vidyalaya Sangathan, in respect of service or any contract arising out of or flowing from this offer of appointment the Courts of Delhi alone shall have jurisdiction.
11. If he accepts the offer on the terms and conditions stipulated he would send his acceptance latest by 29.09.2016 to the KVS (RO), Tinsukia on receipt of this memorandum and will join the office mentioned overleaf on or before 10.10.2016. Necessary proforma for the purpose are enclosed which should be submitted to the concerned Vidyalaya, after getting the same duly completed in any case by 29.09.2016. If the offer is not accepted by the said date or after acceptance if the appointee does not report for duty at Kendriya Vidyalaya, Gerukamukh, Assam by 10.10.2016 this offer of appointment will automatically stand cancelled and no further correspondence will be entertained from him.
12. Suppression of any information will be considered a major offence for which the punishment may extend to dismissal from the services.
13. He will not request for transfer within one year of initial appointment or as per the Kendriya Vidyalaya Sangathan transfer guidelines amended from time to time.
14. He is liable to be transferred anywhere in India.
15. For subsequent promotion the incumbent will have to acquire equivalent degree from recognized University, if not acquired.


(Dr. D. Manjmath)
Assistant Commissioner &
Offg. Deputy Commissioner

Enclosure: As above.

Shri Chandrapratap Singh
Forest Barrier Near RIM Tower
Village-Uslapur, PO-Sakri,
Bilaspur, Chattisgarh - 495001

Copy for information -

1. The Additional Commissioner (Admn.) KVS, Hqrs, New Delhi for information.
2. The Deputy Commissioner (Admn), KVS Hqrs, New Delhi for information.
3. The Principal, Kendriya Vidyalaya, Gerukamukh, Assam the date of joining of the candidate may be intimated to this office as well as KVS (Hqrs), New Delhi through E-mail (E-mail ID of KVS Hqrs- kvs_e2@yahoo.co.in) immediately after the candidate reports for duty. This appointment is further subject to production of certificates etc., as per Article 46 of Education Code for Kendriya Vidyalayas. The candidate be allowed to join his duties only after verification of original certificates and on submission of requisite forms/ statements duly completed in all respects. Those appointments under SC/ST/OBC/PH/Blind quota may be allowed to join duties only on production of original certificate mentioned in para 8 of the order. The Principal is also requested to check the original certificates in respect of the qualifications of the appointee employee and satisfy himself that the appointee possesses requisite qualification for the post he is appointed to.

Offg. Deputy Commissioner

प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक
जौनपुर।

सेवा में

प्रबंधक/प्रधानाचार्य
जवाहर लाल नेहरू इण्टर कालेज
आनापुर, जौनपुर।

पत्रांक/
विषय:

/2021-22

दिनांक- 22-11-21

विज्ञापन संख्या-1/2021 प्रशिक्षित स्नातक शारीरिक शिक्षा वर्ग-01 एवं वर्ग-02 पदों के प्रति उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम-12 उपनियम (8) तथा (10) के अधीन निर्मित प्रशिक्षित स्नातक शारीरिक शिक्षा पद के लिए नियम 12 (11) के अधीन पैनल प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज के पत्रांक/4067-4144/चयन/123-2021/2021-22 दिनांक 08.11.2021 के द्वारा विज्ञापन संख्या-01/2021 प्रशिक्षित स्नातक शारीरिक शिक्षा वर्ग-01 एवं वर्ग-02 पदों के प्रति उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम-12 उपनियम (8) तथा (10) के अधीन निर्मित प्रशिक्षित स्नातक कला पद के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का पैनल नियम 12 (11) के अधीन निर्मित प्रशिक्षित स्नातक शारीरिक शिक्षा पद के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का पैनल प्राप्त हुआ है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	अनुक्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम पिता का नाम व पता	पद का नाम एवं विषय	आवृत्ति संख्या का नाम	श्रेणी	वर्ग
140	0910027457	DHIRAJ KUMAR SINGH PREM SINGH BARAHI KALA, BARAHI NEWADA, VARANASI UTTAR PRADESH 221207	प्रशिक्षित स्नातक शारीरिक शिक्षा	जवाहर लाल नेहरू इण्टर कालेज आनापुर, जौनपुर।	सामान्य जाति	01

उक्त के प्रसंग में चयन बोर्ड नियमावली 1998 की धारा 13(1) के खण्ड एक, दो व तीन के अन्तर्गत आपको निर्देशित किया जाता है कि चयन बोर्ड नियमावली की धारा 13 के उपनियम 2 तथा 3 के अधीन प्रबंधतंत्र द्वारा संकल्प पारित कराकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने एवं कार्यभार ग्रहण कराने का प्रावधान है।

शिक्षा निदेशक (मा०) उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक/सा०(1)शि०/4959-5052/2016-17 दिनांक 09 अगस्त 2016 एवं संशोधित आदेश सामान्य (1) शि०/9861-9935/2016-17 दिनांक 29.11.2016 के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराते हुए उनके समस्त शैक्षिक अंक पत्रों/प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराते हुए सत्यापन आख्या के साथ वेतन हेतु पत्रावली प्रस्तुत किया जाय। यदि विज्ञापित पद के प्रति न्यायालय का कोई आदेश हो तो उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निर्गत किये गये नियुक्ति पत्र की प्रति चयन बोर्ड एवं अधोहस्ताक्षरी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय। चयनित अभ्यर्थी को नवीनतम निर्धारित जनशक्ति के सापेक्ष ही कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही करें तथा सत्यापन में कोई विसंगति पायी जाती है तो यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जाय।

भवदीय

(राजकुमार पंडित)
जिला विद्यालय निरीक्षक
जौनपुर।

पृ०सं०/आयोग/ 10707-12 /2021-22

दिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज।
2. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड लखनऊ।
3. संयुक्त शिक्षा निदेशक, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
4. वित्त एवं लेखाधिकारी (मा०शि०), जौनपुर।
5. DHIRAJ KUMAR SINGH, PREM SINGH, BARAHI KALA, BARAHI NEWADA, VARANASI UTTAR PRADESH 221207

जिला विद्यालय निरीक्षक
जौनपुर।

प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
देवरिया।

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,
गपू इ०का० सलैमपुर,
देवरिया।

पत्रांक/च०बो०/ २०१५-१९

/2021-22

दिनांक- 15-11-2021

विषय- विज्ञापन संख्या-01/2021 प्रशिक्षित स्नातक शारीरिक शिक्षा वर्ग-01 एवं 02 पदों के प्रति उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली-1998 के नियम-12 उपनिघम(8) तथा (10) के अधीन निर्मित प्रशिक्षित स्नातक शारीरिक शिक्षा लिए उपर्युक्त अभ्यर्थियों का पैनाल 12(11) के अधीन कार्यभार ग्रहण कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज के पत्रांक/4067-4144/चयन/123-2021/2020-21 दिनांक 08-11-2021 के साथ संलग्न विज्ञापन संख्या-01/2021 के साथ जारी स्नातक शारीरिक शिक्षा क्रिय की पैनाल के सूची के क्रमांक-212 पर अंकित चयनित अभ्यर्थी जिनका विवरण निम्नवत है:-

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	श्रेणी	विषय	विद्यालय का नाम	अभ्यर्थी का पूरा पता
0910028837	DIGVIJAI PRAJAPATI	RAMASHRY PRAJAPATI	OBC	PHYSICAL EDUCATION	BAPU INTER COLLEGE SALEMPUR DEORIA	RAMASHRY PRAJAPATI, AKTAHIA URF MATIYARI, TARASARA, DEORIA, UP-274204

उक्त आदेश के अनुपालन में चयनित अभ्यर्थी को अपने विद्यालय में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज द्वारा निर्गत नियमावली के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी के समस्त शैक्षिक प्रमाण-पत्रों की जाँच/मिलान आप स्वयं उनके मूल प्रमाण-पत्रों से करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण कराये। कार्यभार ग्रहण की सूचना अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये। शिक्षा निदेशक(मा०) के पत्रांक/शिविर/30305-30405/2020-21 दिनांक 25-01-2021 के अनुपालन में चयनित अभ्यर्थी के अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन अपने स्तर से कराये तथा चयनित अभ्यर्थी से निम्न विवरणानुसार शपथपत्र प्राप्त कर अपना शपथपत्र के साथ सत्यापन आख्या कार्यालय को प्रस्तुत करें।

" मैं (.....नाम/पिता का नाम/पता.....) प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत चयन से सम्बन्धित समस्त अभिलेख/तथ्य पूर्णतया सत्य है। यदि कोई अभिलेख कूटरचित/फर्जी पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति/चयन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उक्त के कारण यदि मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता में प्राविधानित सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।"

अस्तु आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराये। कार्यभार ग्रहण न कराये जाने की दशा में विद्यालय प्रबन्धक दोषी माना जायेगा और उसके विरुद्ध उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज द्वारा स्थापित नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धक का होगा।



(देवेन्द्र कुमार गुप्ता)
जिला विद्यालय निरीक्षक,
देवरिया

पू०सं०/च०बो०/

/2020-21

तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि-(पंजीकृत-पत्र) निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-सचिव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज।
- 2-शिक्षा निदेशक(मा०), उत्तर प्रदेश, शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 3-संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम मण्डल, गोरखपुर।
- 4-वित्त एवं लेखाधिकारी(मा०शि०), कार्यालय-जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया।
- 5-DIGVIJAI PRAJAPATI, AKTAHIA URF MATIYARI, TARASARA, DEORIA, UP-274204

जिला विद्यालय निरीक्षक
देवरिया।



बापू इण्टर कॉलेज

सलेमपुर, देवरिया (30प्र0)

email - bmvic1948@gmail.com

Mob.- 9454336181

U-DISE Code-09600405609

विद्यालय कोड (संस्थागत-771077 /व्यक्तिगत-775077)

पत्रांक...489-33./.../2021-22

दिनांक...27.../.../...2021/...

प्रेषक -

प्रधानाचार्य/प्रबंधक

नियुक्ति पत्र

जिलाविद्यालय निरीक्षक के पत्रांक पृ. सं/च.बो./8014-19 /2020-21 दिनांक 15-11-2021 तथा सचिव उ.प्र.माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,प्रयागराज के पत्रांक 4067-4144/ चयन /123-2021 /2020-21 दिनांक 08-11-2021 विज्ञापन संख्या -01/2021 के अन्तर्गत दिनांक 08-11-2021 को जारी सूची के क्रमांक संख्या 212 के आलोक में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली 1998 के नियम-12 उपनियम (8) तथा (10) पैनल 12(11) क्रमांक 629 के अधीन प्रशिक्षित स्नातक क्रम में श्री दिग्विजय प्रजापति पुत्र श्री रामाश्रय प्रजापति पता- अकटहिया मटियारी तरसरा जिला- देवरिया ,उत्तर प्रदेश-274204 की नियुक्ति सहायक अध्यापक शारीरिक शिक्षा (अन्य पिछड़ा वर्ग) के पद पर दिनांक 27-11-2021 को प्रातः 10.00 बजे से की जाती है।अनवरत एवम बाधारहित एक वर्ष की सेवा के पश्चात पद पर स्वयमेव स्थायी स्वीकृति होगी।

हस्ताक्षर प्रबन्धक

प्रतिलिपि प्रेषित:-

- 1.कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया
- 2-प्रधानाचार्य, बापू इण्टर कॉलेज,सलेमपुर, देवरिया
- 3- श्री दिग्विजय प्रजापति, स अध्यापक शारीरिक शिक्षा, बापू इण्टर कॉलेज, सलेमपुर,देवरिया।

ज्योतिमा सिन्हा

ज्योतिमा सिन्हा
लवणग्रामक एवं मंत्री
बापू इण्टर कॉलेज
सलेमपुर, देवरिया



फाइल सं.17053/ टी.जी.टी.के.वि.सं.(पेक्षे)/2018-19

दिनांक: 06.03.2019

ज्ञापन

विषय: TRAINED GRADUATE TEACHER (P&H E) पद के लिए नियुक्ति प्रस्ताव ।

श्री.भीमतीकुमारी HIRAMATI SAHU (Roll No.41703258), द्वारा उपर्युक्तपद हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्रके संदर्भ में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि उन्हें केन्द्रीय विद्यालय संगठन में TRAINED GRADUATE TEACHER (P&H E) के अस्थायी पद पर वेतन मैट्रिक्स (In the entry Cell No.1) Level-07 (7 वीं श्रेणी) में नियुक्ति हेतु उनका चयन किया गया है और वर्तमान में उन्हें केन्द्रीय विद्यालय PERAMBALUR, चेन्नई क्षेत्र के अधीन दक्षिणजोन में तैनात किया जाता है। वह वेतन के अतिरिक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कार्मिकों को देय भत्ता तथा अन्य लाभों के हकदार होंगे / होंगी। यह नियुक्ति प्रस्ताव अभ्यर्थी को जिला चिकित्सा अधिकारी या समकक्ष स्थिति के चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा फिटनेसप्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने की शर्त पर है।

2. यदि अभ्यर्थी महिला हैं तो उन्हें यह प्रमाणित करना होगा कि नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार करते समय वह गर्भवती नहीं हैं और यदि प्रस्ताव स्वीकृत करते समय चिकित्सकीय परीक्षण के उपरान्त वह 12 सप्ताह या उससे अधिक अवधि से गर्भवती पायी जाती है तो अभ्यर्थी यदि चाहें तो अपनी प्रसूति अवधि / अवस्था समाप्त होने तक नियुक्ति के पद पर पदभार ग्रहण करने से छूट की प्रार्थना कर सकती है या संबंधित महिला अभ्यर्थी ऐसी परिस्थिति में कार्यभार ग्रहण करने के लिए अपनी इच्छा प्रकट करती है तो उसे सरकारी अस्पताल के सी. एम. आ. से योग्यता प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए कि वह वर्तमान अवस्था में सौंपे गए कार्य का निर्वहन करने के लिए योग्य है।

3. संगठन में TRAINED GRADUATE TEACHER (P&H E) पद पर प्रथम बार कार्यभार ग्रहण करने हेतु उन्हें कोई यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

4. वह दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगी / रहेंगे, जिसे क्यास्थिति बढ़ाया भी जा सकता है। परीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद उन्हें केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार स्थायी किया जाएगा।

5. परीक्षा अवधि के दौरान या उसके बाद उनकी नियुक्ति स्थायी होने तक, बिना कोई कारण बताए अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। तथापि नियुक्ति प्राधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त करने का अधिकार होगा।

6. इस नियुक्ति की सेवाओं को शासित करने की अन्य शर्तें केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षा कोड (समय - समय पर क्यासंशोधित) में दिए अनुसार होंगी। केन्द्रीय विद्यालय संगठन "कर्मचारी कल्याण योजना" नामक कल्याण योजना जो दिनांक 01.04.2002 से प्रारंभ की गयी है इस योजना में आपको शामिल होना अनिवार्य है।

7. केन्द्रीय विद्यालय संगठन के परिपत्र संख्या 2-17/2003-04/KVS(Budget) दिनांक 08/12.03.2004 एवं F. 2-17/2003-04/KVS(Budget) दिनांक 24.12.2004 द्वारा परिचालित नई पुनर्गठित परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (Restructured Defined Contribution Pension Scheme) के लिए वह योग्य / पात्र होंगे / होंगी।

8. यह नियुक्ति अस्थायी है तथा अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विकलांग (दिव्यांग) / नेबहीन होने के उचित माध्यम से सत्यापन होने की शर्त पर है। यदि सत्यापन के बाद अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विकलांग (दिव्यांग) / नेबहीन या जो भी हो, होने का दावा गलत पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताए उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी एवं भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत / तहत कर्जी / झूठे प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए आगे की कार्यवाही की जाएगी।

9. उन्हें अपनी नवीन फोटो सहित अपने पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्रों और चरित्र प्रमाण - पत्र को भरकर संबंधित प्राचार्य को सौंपना होगा।

10. इस नियुक्ति प्रस्ताव या इसके संबंध में किसी संविदा अथवा सेवाओं के संदर्भ में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विरुद्ध / खिलाफ किसी भी प्रकार का दावा / विवाद होने के मामले में केवल दिल्ली न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा।

11. NCTE के संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार बीएड के आधार पर। से V तक की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए नियुक्त शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त करने के लिए उन्हें नियुक्ति के बाद, दो साल के भीतर एनसीटीई के 6 महीने के बिज कोर्स को अनिवार्य रूप से पूरा करना है।

12. यदि वह निर्धारित नियमों एवं शर्तों पर यह प्रस्ताव स्वीकार करती है / करते हैं तो उन्हें दिनांक 27.03.2019 या इससे पूर्व तक इस पत्र के दूसरी ओर उल्लिखित केन्द्रीय विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना चाहिए। इस आशय के लिए आवश्यक प्रपत्र संलग्न हैं जिन्हें कार्यभार ग्रहण करते समय विधिवत रूप से पूर्ण भरकर संबंधित प्राचार्य को प्रस्तुत करना होगा। यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया जाता है अथवा अभ्यर्थी उक्त वर्णित विद्यालय में दिनांक 27.03.2019 तक पदभार ग्रहण नहीं करती है / करते हैं तो यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वतः ही रद्द / निरस्त माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी भी प्रकार के पत्र-व्यवहार पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

13. किसी भी प्रकार की सूचना को छिपाना गंभीर अपराध माना जाएगा और उसके लिए दंडस्वरूप सेवा से उनकी बर्खास्तगी तक की जा सकती है।

(Handwritten signature)



No.F.17053 /TGT/KVS(CHER)/2018-19

Date: 06.03.2019

REGISTERED/ SPEED POST

MEMORANDUM

SUB: OFFER OF APPOINTMENT TO THE POST OF TRAINED GRADUATE TEACHER (P&H E)

With reference to his/her application, Mr./Mrs./Ms. **HIRAMATI SAHU** (Roll No.41703258) is hereby informed that he/she has been selected for appointment against a temporary post of **TRAINED GRADUATE TEACHER (P&H E)** in the Kendriya Vidyalaya Sangathan in the pay matrix (in the entry Cell No.1) Level-07, (7th CPC) and posted at the Kendriya Vidyalaya, **PERAMBALUR** in Chennai Region under South Zone. He/she will draw allowances and other benefits as admissible to the employees of Kendriya Vidyalaya Sangathan. This offer of appointment is subject to the candidate to the candidate producing Medical Certificate of fitness issued by a District Medical Officer or a Medical Officer of equivalent status.

2. If the candidate is a woman, she should certify that she is not in the family way at the time of acceptance of the appointment. If, however, she is pregnant of twelve weeks standing or more as a result of medical test at the time of acceptance of appointment, it will be opened to candidate herself to seek exemption from joining the appointed post for the duration till her confinement is over, if she desires so. Furthermore, the affected woman candidate, in such a situation, who expresses her willingness to join, may be asked to produce a certificate of fitness from Chief Medical Officer (CMO) of Govt. Hospital that she is fit to carry out the assigned work in her present state.

3. No TA/DA will be admissible for first joining the Sangathan as **TRAINED GRADUATE TEACHER (P&H E)**

4. He/she will be on probation for a period of 02 years which may be extended. Upon successful completion of probation, he/she will be confirmed as per the rules of Kendriya Vidyalaya Sangathan.

5. During the probation and thereafter, until he/she is confirmed, the services of the appointee are terminable. The appointing authority reserves the right to terminate the services of the appointee at any point of time during the probation period without assigning any reason thereof.

6. Other terms and conditions of service governing the appointment are as laid down in the Education Code for Kendriya Vidyalayas amended from time to time. A Welfare Scheme namely Kendriya Vidyalaya Sangathan Employees Welfare Scheme has been introduced from 01.4.2002. Joining the above scheme is compulsory.

7. He/she will be eligible for the new Restructured Defined Contribution Pension Scheme only as circulated by KVS (HQ) vide circular No.2-17/2003-04/KVS(Budget), dated 08/12.03.2004 and F. 2-17/2003-04/KVS(Budget), dated 24.12.2004.

8. The appointment is provisional and is subject to the certificate(s) of Scheduled Caste/Scheduled Tribe / Other Backward Classes/Physically Handicapped/Blind being verified through the proper channel. If the verification reveals that the claim to SC/ST/OBC/PH/Blind as the case may be, is false, the services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code for production of false certificates.

9. He/ she will fill up the character and antecedents verification form along with recent photograph and will handover the same to the Principal concerned.

10. In case of any dispute or claim against the Kendriya Vidyalaya Sangathan, in respect of service or any contract arising out of or flowing from this offer of appointment, the Courts of Delhi alone shall have jurisdiction.

11. As per the modified eligibility criteria laid down by the NCTE for those teachers who have been appointed to teach classes from I to V on the basis of B.Ed. degree shall mandatorily undergo a six months Bridge Course in elementary education recognized by the NCTE within two years of such appointment as Primary Teacher.

12. If he/she accepts the offer on the terms and conditions as mentioned in this offer letter, he/she should join the Kendriya Vidyalaya mentioned overleaf on or before **27.03.2019**. Necessary proforma for the purpose are enclosed which should be submitted to the Principal concerned, after getting the same duly completed at the time of joining. If the offer is not accepted or the appointee does not report for duty at the above named

14. वह आरंभिक नियुक्ति के तीन वर्ष तक अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा समय - समय पर संशोधित केविस के स्थानांतरण दिशा निर्देशों के अनुसार स्थानांतरण हेतु प्रार्थना/अनुरोध नहीं करेगी/करेंगे।

15. उनको दक्षिणजोन पर आवंटित किया गया है।

16. के वि.सं. के नियमों और विनियमों के अनुसार, बाड में पदोन्नति के लिए पदधारी को अधिग्रहीत नहीं तो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री हासिल करनी होगी।।

17. यदि वह नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकार करता है, तो उसे उस राज्य के नियमों के अनुसार मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पास में एक सेवा समझौते सह जमानत बांड देना होगा कि के वि.सं. में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से न्यूनतम 02 वर्षों की अवधि के लिए सेवा करने के लिए सहमत है जिसमें परिवर्षा की अवधि और विस्तारित अवधि भी शामिल है। यदि वह इस समझौते का उल्लंघन करता है, तो वह केन्द्रीय विद्यालय संगठन को 2,00,000/- (केवल दो लाख रुपये) का भुगतान करने के लिए सहमत है। इस समझौते को के वि.सं. की सेवाओं में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से निष्पादित किया जाएगा और मानक प्रारूप (मानक बॉन्ड प्रारूप संलग्न है) में के वि.सं. को प्राचार्य/प्राचार्या के माध्यम से देगा/देगी।

18. निम्नलिखित दस्तावेजों को कार्यभार ग्रहण करने के समय के वि.सं. को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना है। इस पर के साथ प्रारूप संलग्न हैं।

- राज्य के नियमों के अनुसार (Rs.100/-) मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर सेवा अनुबंध सह जमानत बांड का मूल बांड।
- तीन नवीनतम फोटो सहित अपने पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र और चरित्र प्रमाण - पत्र
- जिला चिकित्सा अधिकारी या समकक्ष स्थिति के एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया चिकित्सा फिटनेस प्रमाणपत्र।
- नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति।
- निष्ठा की शपथ।
- घल और अघल संपत्तियाँ और देनदारियाँ का विवरण।

सोमप्रकाश
(श्री मणि)
उपायुक्त
6/8/19

संलग्नक: धर्मोपरी

TO

Shri/Smt./Ms.HIRAMATI SAHU

Slb (DR) W/o (DR) D/o SH. JEEWAN LAL SAHU

HOUSE NO.90, WARD NO.5,

HIGH SCHOOL ROAD BEMETARA

CHHATTISGARH - 491335

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित है :-

- प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय _____ को इस अनुरोध के साथ भेजित है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ यदि नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करते/करती हैं तो उन्हें तत्काल नवीन पद पर शीघ्र कार्यभार ग्रहण करने के अनुरोधों के साथ कार्यभार मुक्त करने का कष्ट करें तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को भी देंगे। यदि नियुक्त व्यक्ति वर्तमान में आपके वहाँ कार्यरत नहीं है तो इस जापन को शीघ्रतः संबंधित विद्यालय को भेज दिया जाना चाहिए और इसकी सूचना इस कार्यालय तथा मुख्यालय को भी देंगे।
- प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय PERAMBALUR को इस अनुरोध के साथ कि वे नियुक्त व्यक्ति द्वारा इगुटी के लिए उपस्थित होने के पश्चात उसके कार्यभार ग्रहण करने की सूचना क्षेत्रीय कार्यालय को तत्काल भिजवाने का कष्ट करें। यदि वे निर्धारित तिथि तक अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उसकी सूचना इस कार्यालय को ई-मेल द्वारा भेजी जानी चाहिए। यह नियुक्ति केन्द्रीय विद्यालयों के लिए बनी शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 46 के अनुसार प्रमाण-पत्रों इत्यादि के प्रस्तुत करने की शर्त पर ही होगी। नियुक्त व्यक्ति को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति तभी प्रदान की जाए जब उनके मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो जाए तथा वांछित प्रपत्रों/वितरण-पत्रोंको पूर्ण रूप से भरकर वे प्रस्तुत कर दें। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक रूप से विकलांग/श्रीमहीन कोर्ट में नियुक्त व्यक्ति को भी कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व इस जापन के पैरा-8 के अनुसार अपने सभी मूल प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करना होगा अथवा उसे कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संबंधित प्राचार्य से यह भी अनुरोध है कि वे नियुक्त व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यताएँ/आयु इत्यादि से संबंधित मूल प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपि जाँच कर स्वयं यह संतुष्ट हो जाए कि नियुक्त व्यक्ति जिस पद पर नियुक्त हुआ है उस हेतु अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएँ/आयु उसके पास है।

उपायुक्त

a

Vidyalaya by 27.03.2019 this offer of appointment will automatically stand cancelled and no further correspondence will be entertained from him/her in this regard.

13. Suppression of any information will be considered a major offence for which the punishment may extend to dismissal from the services.

14. He/she will not request for transfer within three years of initial appointment or as per the transfer guidelines of Kendriya Vidyalaya Sangathan.

15. He/she has been allotted SOUTH zone.

16. For subsequent promotion, the incumbent will have to acquire academic and professional degree from recognized University, as per rules and regulations applicable to KVS.

17. If he/she accepts the offer of appointment then he/she has to execute a Service Agreement cum Surety Bond in favour of Kendriya Vidyalaya Sangathan on the non-judicial stamp paper of the value as per State Rules to this effect that he/she has agreed to serve the KVS for a period of **minimum 02 years** from the date of joining which includes the period of probation including extended period if any. **He/she shall agree to pay Rs.2,00,000/- (Rupees Two lakhs only) to the Kendriya Vidyalaya Sangathan if he/she commits breach of this agreement.** This bond shall be executed at the time of joining of services of KVS and shall be submitted to the KVS through the Principal at the time of joining in the standard format (**Standard Bond format is enclosed**).

18. The following documents are to be submitted mandatorily to the KVS at the time of joining. The formats are enclosed alongwith this letter.

- i. Service Agreement cum Surety Bond on non-judicial stamp paper of the value (Rs.100/-) as per State rules in original.
- ii. Character and Antecedents verification form along with 03 recent photographs.
- iii. Medical fitness certificate issued by the District Medical Officer or a Medical Officer of equivalent status.
- iv. Acceptance of appointment offer.
- v. Oath of allegiance.
- vi. Statement of movable and immovable properties and liabilities.

(C. MANI)

DEPUTY COMMISSIONER

Encl.As above.

Mr./Mrs./Ms.**HIRAMATI SAHU**
S/O (OR) D/O (OR) W/O.**SH. JEEWAN LAL SAHU**
HOUSE NO.90, WARD NO.5,
HIGH SCHOOL ROAD BEMETARA
CHHATTISGARH - 491335

Copy forwarded to:

1. The Principal, Kendriya Vidyalaya, In case Shri/Smt/Ms. accepts the offer of appointment, he/she should be relieved immediately with the instructions to join his/her new post under intimation to the concerned Principal/RO. If the appointee is not working at present in this Vidyalaya, this memorandum may be sent to the concerned Vidyalaya forthwith under intimation to RO and Sangathan (HQ).

2. The Principal, Kendriya Vidyalaya, **PERAMBALUR** The date of joining of the candidate may be intimated to the Regional Office concerned immediately after the candidate reports for duty. In case he/she does not join by the stipulated date, this office should be informed accordingly on e-mail. This appointment is further subject to production of certificates etc., as per Article 46 of Education Code for Kendriya Vidyalayas. The candidate be allowed to join his/her duties only after verification of the eligibility and educational qualification etc from their original certificates, and on submission of requisite forms/ statements duly completed in all respects. Those appointed under SC/ST/OBC/PH/Blind quota may be allowed to join duties only on production of original certificate mentioned in para 8 of the order. Principals are also requested to check the original certificates in respect of the qualifications of the appointee employees and satisfy themselves that the appointee possesses requisite qualification for the post he/she is appointed to.

DEPUTY COMMISSIONER

Rohini, Avantika, Sector 1, No.2- GBSSS-1413019
 Directorate of Education, Delhi
 (Govt. of NCT of Delhi)
 Joining Order

GBSSS/No-2/Avt/Sec-1/Roh/637 dated 26-11-2018 (A/M)

Order No: DE.4/E-IV/Rect. PET/(P. Code-210/14)/2018/Pt.
 File /1705-1717 Dated 23/10/2018

Appointment Date:
 23/10/2018

Mr./Ms. **MUKESH KUMAR MISHRA -20182763**, has joined at **Rohini, Avantika, Sector 1, No.2- GBSSS-1413019**, as **PET** on **26/11/2018**.

[Signature]
 26/11/18 **RAJVIR**
VICE PRINCIPAL/ HOS

Endorsement No.: DE.4/E-IV/Rect. PET/(P. Code-210/14)/2018/Pt. File /1705-1717 Dated 23/10/2018

Copy Forwarded to:-

- (1) Employees Concerned
- (2) RD Concerned
- (3) DD Concerned
- (4) EO Concerned
- (5) AO (Estt./GOC) Concerned
- (6) AAO Concerned Accounts Branch
- (7) PAO Concerned
- (8) Schools Concerned
- (9) Incharge (Computer Cell), Dte. of Education
- (10) Concerned Employee's Personal File
- (11) P.S. To DE, Dte. of Education
- (12) PS To Secretary Education
- (13) Guard File
- (14) Services Department
- (15) Concerned Department

[Signature]
 26/11/18 **RAJVIR**
VICE PRINCIPAL/ HOS
 G.B.S.S.S. No-2, Avantika,
 Sec-01, Rohini, Delhi-85
 School ID-1413019

Electronic Certificate No.: 182032778



University Grants Commission
NATIONAL EDUCATIONAL TESTING BUREAU



NATIONAL ELIGIBILITY TEST FOR ASSISTANT PROFESSOR

UGC Ref. No.: 32778/(NET-DEC 2018)

Roll No.: CG0202502935



Certified that **KISHOR KUMAR SAKET**

Son/Daughter of **BODHAN SAKET**
and **USHA SAKET**

has qualified

the UGC-NET for eligibility for Assistant Professor held in **DECEMBER 2018**
in the Subject **PHYSICAL EDUCATION**

As per the information provided by the candidate, he/she had not completed his/her Master's degree or equivalent examination at the time of applying for NET.

The date of eligibility for Assistant Professor is the date of declaration of NET result, i.e., **5th JANUARY 2019**, OR the date of completion of Master's degree or equivalent examination with required percentage of Marks within two years from the date of declaration of NET result, i.e., by **4th JANUARY 2021**, whichever is later.

This is an electronic certificate only, its authenticity and category in which the candidate had appeared should be verified from UGC by the institution appointing authority. This electronic certificate can also be verified by scanning QR Bar Code printed on the electronic certificate.

Validity of this electronic certificate is forever.

Date of Issue: 15-04-2019

Head
NET Bureau

Note UGC has issued the electronic certificate on the basis of information provided by the candidate in his/her Application Form. The appointing authority should verify the original records/certificates of the candidate while considering him/her for appointment, as UGC is not responsible for the same. The candidate must fulfil the minimum eligibility conditions for NET as laid down in the notification for UGC-NET.

प्रेषक

शिक्षा निदेशक(उच्च शिक्षा)0000
विपी अर्ब-1(आयोग)
इलाहाबाद।

सेवा में

सचिव/प्रबन्धक/प्रतिनियुक्त निर्वाहक
समान्य वर्क पी0जी0 कार्यालय,
कानपुर(0000)।

एवंक दिनांक अर्ब-1(आयोग)/

/2017-18 दिनांक 25/08/2017

विषय : विज्ञापन संख्या-48 में विज्ञापित पद असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रति आयोग से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु संस्तुति

संबोधन

कृपया अपने महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा वेतनक्रम 15600-39100 ग्रेड पे 6000 में रिक्त पद का संदर्भ में जो डा. शशि किरन सिंह की संवत्नियुक्ति/पुनः/स्वागपत्र/एकल स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त रूप में उपलब्ध है।

2- उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार उक्त पद के लिए आयोग ने अपने पत्र संख्या- 100/शिक्षा आयोग/275/2017-18 दिनांक 30/06/2017 द्वारा जिन अभ्यर्थियों का चयन आसन व्यवस्था हेतु संस्तुत किया है उनमें से आपके महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा के पद पर नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधित) अधिनियम वर्ष 1980 की धारा 12-2 के अंतर्गत आपके द्वारा उपरोक्त अध्यायन हेतु प्रेषित पत्र के प्रति धारा 13(3) की प्रावधानों के अंतर्गत विन्यासित अभ्यर्थी का नाम प्रेषित किया जाता है।

कुमुदलता सिंह

द्वारा राम मजूमदार सिंह जी0ए0डी0 सेवकान सेण्ट्रल आफिस
बी0ए0पी0, वाराणसी।

उक्त संस्तुत अभ्यर्थी को आवेदन की साक्षात्प्रति समस्त संलग्नकों सहित इस पत्र के साथ संलग्न है।

3- अतः एतद्वारा आपको निर्दिष्ट किया जाता है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यथा संशोधित) अधिनियम की धारा 14(1) की प्रावधानों के अनुसार आप इस पत्र के प्राप्त होने की तिथि अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त की गयी संस्तुति पत्र की मूल प्रति संस्तुत करने की तिथि, जो भी पहले हो, से विलम्बतम 30 दिन के भीतर उक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश पंजीकृत डाक से भेजे तथा आदेश की एक प्रति इस कार्यालय को भी भूषांकित करें। इस संबंध में यह आवश्यक है कि पदभार ग्रहण करने के लिए संबंधित अभ्यर्थी को पर्याप्त समय (कम से कम 21 दिन) अवश्य दिया जाए।

4- संबंधित अभ्यर्थी, प्रबन्धक द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम (यथा संशोधित) 19 की धारा 15(1) के अंतर्गत उपबन्धित समयान्तर्गत निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को अनिवार्यतः संशुचित करेंगे।

5- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निदेशक द्वारा संस्तुत उक्त अभ्यर्थी को समयान्तर्गत यदि नियुक्ति पत्र प्रबन्धतंत्र द्वारा निर्गत नहीं किया जाता है तो प्रबन्धतंत्र को बिना पूर्व सूचना दिये उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 की धारा 15(1) (2) (3) के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) की धारा- 57 के अंतर्गत प्रबन्धतंत्र को विरुद्ध धारा- 58 की कार्यवाही हेतु साशन को संस्तुति कर दी जायेगी, परिणामतः साशन द्वारा प्रबन्धतंत्र अवकमित कर प्राधिकृत निबंधक नियुक्त कर दिये जाने पर इतका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

6- यदि किसी कारणों से अभ्यर्थी द्वारा अपना पत्रभार निर्धारित अर्धघंटे में ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त करने से पूर्व निदेशालय को एक सप्ताह के अन्दर विशेष वाहन के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करते हुए नियुक्ति आदेश निरस्त करने की अनुमति निदेशालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाय। जिससे आपको अन्य अभ्यर्थी का नाम संस्तुत किया जा सके। यदि उक्त पत्र के प्रति नियुक्ति के संबंध में मा. न्यायालय में कोई स्थान अंतरिम/अन्तिम वाक्यकारी आदेश हो तो नियुक्ति के पूर्व निदेशालय को अवगत कराया जाय अन्यथा की स्थिति में किसी प्रतिकूल कार्यवाही के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।

7- संस्तुत अभ्यर्थी की आसन-व्यवस्था किसी भी परिस्थिति में बिना अपरिहार्य कारणों के अपरिवर्तनीय होगी।

8- प्रबन्धतंत्र अन्य पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों की आसन-व्यवस्था करते समय नियुक्ति पत्र में सरलनादेश संख्या- 22/5/1982-फा-2 दिनांक 27 जुलाई 1994 में दी गयी निम्न व्यवस्था का नियुक्ति आदेश में स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाए :-

" यह नियुक्ति अर्पित है तथा जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र उचित भावनों से सत्यापित किये जाने के अधीन है और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति जैसा भी मामला हो के सम्बन्ध में दावा झूठा है तो बिना किसी कारण बताये तथा झूठा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसी कार्यवाही, जो की जा सकती है के बारे में पूर्वाग्रह के बिना सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी।"

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार कर निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

नोट :-

भवदीय

डा० (प्रीति गौतम)
संयुक्त निदेशक(उ०शि०),
कृते शिक्षा निदेशक(उ०शि०),
उ०प्र०, इलाहाबाद।

पृष्ठांकन सं० : डिप्री अर्थ-1(आयोग)/ 1805-09 /उसी तिथि को।

उक्त पत्र की प्रति निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- विरोध सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-5, लखनऊ।
- 2- प्राचार्य, दयानन्द मल्हर्षी पी०जी० कॉलेज, कानपुर(उ०प्र०)।
- 3- संबन्धित अभ्यर्थी को इस मन्त्रा के साथ प्रेषित कि ये कृपया :-
 - (क) इस पत्र की प्राप्ति से इस कार्यालय को तुरन्त सूचित करें।
 - (ख) महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र से सम्पर्क कर शीघ्रतः अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें तथा कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को भी दें।
 - (ग) प्रबन्धतंत्र द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत करने के उपरान्त यदि आप द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं कर लिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आप उक्त नियुक्ति के लिए इच्छुक नहीं हैं और ऐसी दशा में अन्यत्र किसी महाविद्यालय में आपकी आसन-व्यवस्था पर पुनः विचार नहीं किया जायेगा तथा आपकी नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

4- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर।

5- सचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०, इलाहाबाद।

डा० (विनीता यादव)
सहायक निदेशक(उ०शि०),
कृते शिक्षा निदेशक(उ०शि०),
उ०प्र०, इलाहाबाद।



Gauravendra Swarup

Secretary, Board of Management
Dayanand Girls College

15/96, Civil Lines, Kanpur - 208 001

EPABX : (0512) 2305646, 2305648, 2305570 • Fax : 0512-2303111

E-mail : vsef1989@gmail.com


दिनांक: 12 सितम्बर 2017

सुश्री कुमुद लता सिंह
पुत्री श्री विद्याशंकर सिंह
प्रतापपुर, पुरुषोत्तमपुर,
चुनार
जिला निर्जापुर

महोदया,


आपकी नियुक्ति दयानन्द गर्ल्स कालेज कानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर-शारीरिक शिक्षा के पद पर एक वर्ष के परीक्षाकाल पर की जाती है। यदि आपका कार्य संतोषजनक न हुआ तो परीक्षा अवधि एक वर्ष और बढ़ायी जा सकती है। आपको शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान 15600-39100 (ग्रेड पे- 6000) यथासंशोधित के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य मंहगायी भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे। उक्त आदेश शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) के पत्रांक- डिग्री अर्थ-1/आयोग/1805/2017-18 दिनांक 25-8-2017 द्वारा की गयी आसन व्यवस्था के तहत निर्गत किया जा रहा है। आपकी नियुक्ति महाविद्यालय में डॉ० शशि किरण सिंह के दिनांक 30-6-2013 को सेवानिवृत्ति से रिक्त पद के प्रति अनुमन्य की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि आप इस पत्र की प्राप्ति के 21 दिनों के अंदर महाविद्यालय की प्राचार्या के समक्ष उपस्थित होकर अपने कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उपलब्ध करायें। आपको कार्यभार ग्रहण करने की तभी अनुमति दी जायेगी जब आप कार्यरत संस्था से कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगी।


(गौरवेन्द्र स्वरूप)
सचिव-प्रबंध समिति

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
- 3- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल, कानपुर।
- 4- प्राचार्या, दयानन्द गर्ल्स कालेज, कानपुर।
- 5- कार्यालय अधीक्षक/लेखाकार/वेतन लिपिक, दयानन्द गर्ल्स कालेज, कानपुर।


(गौरवेन्द्र स्वरूप)
सचिव-प्रबंध समिति

Ref. No.: SET-2019/6807411768/ST/0907

Roll No.: 133468062



CHHATTISGARH VYAVSAYIK PARIKSHA MANDAL, NAYA RAIPUR
&
COMMISSIONER, DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION OF CHHATTISGARH



SET EXAMINATION 2019

(Accredited by University Grants Commission, New Delhi)
(Valid in the State of Chhattisgarh only)



Certified that **LOKESHWARI BHANDARI** Son/Daughter/Wife
of **SOMNATH** has qualified the Chhattisgarh State Eligibility Test (SET)
Examination 2019 held on September 08, 2019 for eligibility for the post of Assistant
Professor/Librarian/Sports Officer in colleges and Assistant Professor/Assistant Librarian/Assistant
Director (Physical Education) in the Universities in the subject **PHYSICAL EDUCATION**

The date of qualifying SET is June 24, 2020 which is also the date of declaration of the result.

This is an electronic certificate only and its authenticity should be verified from the
Chhattisgarh Vyavsayik Pariksha Mandal by the employer through vyapam.cgstate.gov.in. This
electronic certificate can also be verified by scanning QR Code printed on the electronic certificate.

Validity of the electronic certificate is forever.

Date of issue : **10/11/2020**

Additional Director

Department of Higher Education Government of Chhattisgarh

Member Secretary (C.G.SET)

Chhattisgarh Vyavsayik Pariksha Mandal, Naya Raipur

NOTE

- CG Vyapam has issued the electronic certificate on the basis of the information provided by the candidate in his / her Application Form. The appointing authority should verify the original records / certificates of the candidate while considering him / her for appointment, as the CG Vyapam is not responsible for the same. The candidate must fulfill the minimum eligibility condition for SET within 2 years from the date of declaration of SET result.
- Whenever SC/ST/OBC (creamy layer / non-creamy layer) is shown in the SET Ref. No., the recruitment body should check the relevant documents of this category.
- Whenever PWD is shown in the SET Ref. No., the recruitment body should check the relevant documents of disabilities.



कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा
सभाग-दुर्ग

जिला संचालक के कार्यालय ई-ऑफिस दुर्ग, ज.स.

Phone: 8786-2962296

E-mail: jdsdg18@jssnka.com

प्रमाणिक/संसा.सं/शिक्षा/सीसी.सी/ई.सर्व/2021/ 07/25 दुर्ग, दिनांक 24/08/2021

// आदेश //

संबंधित विभाग, संयुक्त शिक्षा विभाग, संजयपुर, झारखंडी भाग अटल नगर रावपुर, के पद क्रमांक एफ डी नं. 1103/2018/20-वी अटल नगर दिनांक 09.02.2018 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालकलय रावपुर के पद क्रमांक/एफ. /विभाग/सीसी.सी/2018/422-वीए अटल नगर दिनांक 09.02.2018 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों को पूरा करने के लिए प्रथम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 24.11.2019 को परिणत के आधार पर दस्तावेजों के समायोजन उपलब्ध किया है। सर्वे, शिक्षा संचालक शिक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आवश्यकता पड़ेगी, आशुषी आदेश एक दिन एवं की परिशिष्ट अर्द्ध पर शिक्षक अद्यतनित तृतीय के साथ वेतनमान के वेतन में दिनांक 08 के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मिलित तालिका में उल्लिखित शाखा में परामर्श किया जाता है-

पद नं.	उपरोक्त का नाम एन फिल/पति का नाम	जाति वर्ग	पता	पदाधिकार शाखा का नाम	अर्द्ध वर्ग
1	2	3	4	5	6
130403	LOKSHWARISO MKNATH	ST	.. AMADOLA,POST- SOMATOLA, PIN CODE- 491066, DISTRICT- Rajnagar, CHHATTISGARH	का.सं.सं.सं.सं.सं.सं. अनुक्रम, विभाग- संयुक्त, जिला- संजयपुर	1A 2

उपरोक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी -

- अर्द्ध शिक्षक 15 सितंबर 2021 तक पदाधिकार शाखा में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्दिष्ट तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वयं निरस्त माना जाएगा।
- अर्द्ध शिक्षक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों के मिलान के उपरोक्त संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों का मिलान करवाएंगे, तदुपरोक्त ही पदाधिकार शाखा में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। विभाग में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को ही परामर्श पत्र से कार्यभार ग्रहण माना जाएगा।
- श.स. संजयपुर, शिक्षा विभाग द्वारा जारी जिला निर्देश 21/2020 दिनांक 29.07.2020 एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2020 के अनुसार सीसी.सी. के पदों पर अर्द्ध शिक्षक संयुक्त संजयपुर के तीन वर्गों की परिशिष्ट अर्द्ध में निम्नानुसार वेतनमान दिए होंगे-
 - प्रथम वर्ग - इस पद के वेतनमान के अनुसार का 70 प्रतिशत
 - द्वितीय वर्ग - इस पद के वेतनमान के अनुसार का 80 प्रतिशत
 - तृतीय वर्ग - इस पद के वेतनमान के अनुसार का 90 प्रतिशत

परन्तु परिशिष्ट अर्द्ध में दस्तावेजों के साथ अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया जाये। शिक्षक के पद पर नियुक्ति होने की परिशिष्ट पर तथा आवश्यक होगी। परिशिष्ट अर्द्ध को संतुष्टतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उचित एवं उचित कारणों के आधार पर परिशिष्ट अर्द्ध 21 एवं 22 नयाई जा सकते हैं।
- श.स. संजयपुर, शिक्षा विभाग की अधिसूचना दिनांक 06 मार्च 2019 की उल्लिखित 8 की उप-बिंदु (8) के अनुसार संजयपुर में सीसी.सी. के अर्द्ध शिक्षक ई (एन.सी.)/टी (एन.सी.) वर्गों की परिशिष्ट अर्द्ध में शामिल होगी।

कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़)

PHONE NUMBER - 07774 - 230230 EMAIL ID - mfu.jk.sarajua@gmail.com

आदेश ७३

अम्बिकापुर दिनांक 10/12/2021

क्र/स्था.2/शि.भर्ती/(T) Teacher (Physical Education)/(1)/2020/8121 : छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ आर नं 1103/2019/20-दो अटल नगर दिनांक 09.03.2019 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक /स्था/विज्ञापन/सीधी भर्ती/2019/422-पी.ए. अटल नगर दिनांक 09.03.2019 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 12-22/2020/20-दो नवा रायपुर दिनांक 19.02.2021 के अनुक्रम में विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक- 21-Nov-19 की वरीयता के आधार पर आपके दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत **Teacher (Physical Education)** के पद पर आपके द्वारा कार्य भार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, शिक्षक तृतीय श्रेणी सातवें वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल 08 के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 03 में अंकित शाला में पदस्थ किया जाता है।


रोल नं./अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम/वर्ग	पता	पदांकित शाला का नाम	चयनित संवर्ग
1	2	3	4
13101194 MALA, FATHER - TULSI RAM CAT.- OBC	H.NO.- BICHPARA, STREET- SALORA, CITY- SALORA, POST- KATGORHA, TEHSIL- KATGORHA, DIST.- KORBA, (CHHATTISGARH)	NAME OF SCHOOL- Higher Secondary School RAGHUNATHNAGAR, BLOCK- WADRAFANAGAR, DISTT.- BALRAMPUR- RAMANUJGANJ	OBC_F

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-

- नियुक्त शिक्षक 28 दिसम्बर 2021 तक पदांकित शाला में कार्य भार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि तक कार्य भार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा। नियुक्त शिक्षक दिनांक 28 दिसम्बर 2021 के पूर्व संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों के मिलान के उपरांत अनुमति प्राप्त कर पदांकित शाला में कार्य भार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्य भार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्य भार ग्रहण माना जायेगा।
- छ.ग.शासन वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनांक 29.07.2020 एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2020 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपैन्ड देय होगा-
प्रथम वर्ष- चयनित पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष- चयनित पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
तृतीय वर्ष- चयनित पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत
परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपैन्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। शिक्षक के पद पर नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा पर तथा अस्थायी होगी। परिवीक्षा अवधि को सफलता पूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उचित एवं पर्याप्त कारणों के आधार पर परिवीक्षा अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।

७५

3. छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना दिनांक 05 मार्च 2019 की कड़िका 6 की उप कड़िका (5) के अनुसार सेवा में सीधी भर्ती से नव नियुक्त शिक्षक, ई (एल.बी.)/टी (एल.बी.) सर्वग की वरिष्ठता सूची में शामिल होंगे।
नव नियुक्त शिक्षक की वरिष्ठता सभागीय अंतिम चयन सूची के क्रम में निर्धारित की जायेगी तथा वरिष्ठता निर्धारण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
4. यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध में दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर अंतरिम रूप से प्रदान की जा रही है। यदि पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय सेवा हेतु अनर्ह/अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो बिना किसी सूचना के उसकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
6. नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा दी गयी जानकारी / प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज यदि गलत पाये गये तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
7. नव नियुक्त शिक्षक की परीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत शासित होगा।
8. उपरोक्त नियुक्त शिक्षक की सेवाये किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एव जमे एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस देने से पहले तथा बाद में यदि यह अपने कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जायेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उसे एक माह का या नोटिस अवधि में से जितना अवधि कम हो उतनी अवधि का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा।
9. प्रमाणित किया जाता है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है तथा यह नियुक्ति व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के रैंक के आधार पर पात्रतानुसार की गई है।
10. पदांकित शाला में कार्य भार ग्रहण करने के समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रति का एक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।
11. संबंधित शिक्षक को 03 वर्ष तक पदांकित शाला में ही कार्य करना अनिवार्य होगा उक्त अवधि में स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी। इस आदेश के अंतर्गत पदस्थापना संशोधन हेतु आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
12. नियुक्त शिक्षक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् 15 दिवस के भीतर जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। मेडिकल बोर्ड के द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
13. उपरोक्त नियुक्ति आदेश माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में लंबित याचिका WP(S) 1091/2020, WP(S) 3005/2021, WPPIL 29/2021, WP(S) 3036/2020, WP(C) 591/592/593/594 वर्ष 2012, WP(S) 2502/2021, WP(S) 2507/2021, WP(S) 2536/2021, WP(S) 3781/2021, WP(S) 1991/2021, एवं WP(S) 2331/2021 तथा किसी न्यायालय में लंबित अथवा भविष्य में दायर किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्वधीन होगा।
14. पूर्व से शासकीय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी नियमानुसार शासकीय सेवा में त्यागपत्र/कार्य मुक्त होने के पश्चात् ही नवपदस्थ संस्था में कार्य भार ग्रहण करेंगे।


 (बी.एक)
 सभागीय संयुक्त संचालक
 लोक शिक्षण शिक्षा
 सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.)

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, सरगुजा संभाग अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
6. संचालक, कोष, लेखा एवं पेशन, इन्द्रावती भवन, अटल नगर को सूचनार्थ।
7. समस्त कलेक्टर, सरगुजा संभाग, की ओर सूचनार्थ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सरगुजा संभाग की ओर सूचनार्थ।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी सरगुजा संभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ।
11. प्राचार्य डाईट, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ।
12. समस्त जिला कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ।
13. समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ एवं चयनित शिक्षक के द्वारा आपके कार्यालय में उपस्थित होने के दिनांक को ही विद्यालय में कार्यभार ग्रहण हेतु अनुमति प्रदान करें ताकि चयनित शिक्षक को विलम्ब न हो। चयनित शिक्षक के पदांकित संस्था में संबंधित विषय का पद रिक्त न होने की स्थिति में कार्यभार ग्रहण न कराते हुए अभ्यर्थी को मूलतः सभागीय कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें।
14. समस्त प्राचार्य, शा.उ.मा.वि./हाईस्कूल, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चयनित शिक्षक के समस्त दस्तावेजों का परीक्षण अपने स्तर से करने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे। चयनित शिक्षक के पदांकित संस्था में संबंधित विषय का पद रिक्त न होने की स्थिति में कार्यभार ग्रहण न कराते हुए अभ्यर्थी को मूलतः सभागीय कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें।
15. समस्त प्रधान पाठक, माध्यमिक शाला, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. संबंधित श्री/श्रीमती/कुमारी-MALA, H.NO. ,STREET- SALORA, CITY- SALORA, POST- KATGORHA, TEHSIL- KATGORHA, DISTT.-KORBA, CHHATTISGARH को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
17. कार्यालय गार्ड फाईल फोल्डर हेतु।

संभागीय संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण शिक्षा
सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.)

प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
झांसी।

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
करगुवाँ, झांसी।

पत्रांक/मौठ/मा०/

/2017-18

दिनांक-18-09-17

विषय:-विज्ञापन सं० 01/2013 के सापेक्ष मा०शि०से०च०बो० नियमावली 1988 के अनुसार नियम-12 उपनियम (8) तथा (10) के अधीन निर्मित प्रशिक्षित स्नातक शारीरिक शिक्षा 01 के पद के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों के पैनल नियम-12 (II) के अधीन प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इलाहाबाद ने अपने पत्रांक/मा०शि०से०च०बो०/चयन पैनल/4692-94/2017-18 दिनांक-31.08.2017 के द्वारा आपके विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक वेतनक्रम में नियम-12 उपनियम (8) तथा 10 के अधीन निर्मित हाईस्कूल में शारीरिक शिक्षा विषय पर चयन किया गया है तथा सचिव, मा०शि०से०च०बो०, इलाहाबाद के पत्रांक: मा०शि०से०च०बो०/चयन/4894/2016-17 दिनांक-08.09.2017 द्वारा सत्यापन प्राप्त हुआ है।

अतः उपरोक्त नियमावली के नियम 13(1) के खण्ड (क) (दो) तथा (तीन) के अधीन आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करते हुए, नियम 13 के उपनियम (2) (3) के अधीन यथा स्थिति अपेक्षित कार्यवाही करने का कष्ट करें, चयनित अभ्यर्थी के शैक्षिक प्रमाण पत्रों को भली-भांति जांच करते हुए, 10 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही करें, यदि विद्यालय में विज्ञापित पद के प्रति किसी न्यायालय द्वारा कोई निर्देश दिये गये हो तो उनका परिपालन अवश्य किया जाये।

चयनित अभ्यर्थी का विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	चयनित अभ्यर्थी का नाम व अनुक्रमांक	पता	पदनाम/विषय	जाति	चयनित संस्था का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री दलसिंगार सिंह अनुक्रमांक-021600663	ग्रा० चकसलेम, पो० फतेहपुर जिला गाजीपुर पिन कोड-284135	प्रशिक्षित स्नातक, शारीरिक शिक्षा	पिछड़ी जाति	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, करगुवाँ, झांसी।

कृपया पत्र को सर्वोच्च वरीयता प्रदान करें, साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाये कि चयनित अभ्यर्थी को समय के अन्तर्गत अवश्य ही कार्यभार ग्रहण कराये, कार्यभार ग्रहण न कराने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्ध तंत्र का होगा, कृपया कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

डा०(नीरज कुमार पाण्डेय)
जिला विद्यालय निरीक्षक,
झांसी।

पृष्ठांकन सं०/ 4164-69

/2017-18

तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1- शिक्षा निदेशक(मा०)उ०प्र०, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 2- सचिव, उ०प्र०, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इलाहाबाद।
- 3- संयुक्त शिक्षा निदेशक, झांसी मण्डल झांसी।
- 4- उप शिक्षा निदेशक(मा०)झांसी मण्डल झांसी।
- 5- श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री दलसिंगार सिंह, ग्रा० चकसलेम पो० फतेहपुर, जिला गाजीपुर। (पंजीकृत)

डा०(नीरज कुमार पाण्डेय)
जिला विद्यालय निरीक्षक,
झांसी।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करगवां चिरगांव (झॉंसी)

प्रेषक

प्रबन्धक

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
करगवां चिरगांव(झॉंसी)

सेवा में

श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री दलसिंगार सिंह
ग्राम-चकसलेम पोस्ट-फतेहपुर
जनपद-गाजीपुर उ०प्र० 284135

पत्रांक :- 320-325/2017-18

दिनांक :- 19/09/2017

विषय:- उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करगवां (झॉंसी) में रिक्त प्रशिक्षित स्नातक वेतनकम में सहायक अध्यापक विषय शारीरिक शिक्षा के पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु नियुक्ति पत्र ।


महोदय,

जिला विद्यालय निरीक्षक झॉंसी के पत्रांक /मो०/मा०/4164-69/2017-18 दिनांक 18/09/2017 एवं सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद के पत्रांक /मा०शि०सेवा०च०वो/चयन पेनल/4692-94/2017-18 दिनांक 31/08/2017 के द्वारा प्रशिक्षित स्नातक वेतनकम में नियम-12 उपनियम(8) तथा 10 के अधीन निर्मित हाईस्कूल में शारीरिक शिक्षा विषय पर आपका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करगवां (झॉंसी) में चयन किया गया है। तथा सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद के पत्रांक/मा०शि०सेवा०च०वो/चयन/4894/2016-17 दिनांक 08/09/2017 द्वारा सत्यापन प्राप्त हुआ है।

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि आप पत्र प्राप्ति की तिथि से 10 दिनों के अन्दर अपने सभी शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी मूल प्रमाणपत्रों के साथ विद्यालय में उपस्थित होकर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत कर विषय शारीरिक शिक्षा के रिक्त पद का कार्यभार ग्रहण करें। यदि आप उक्त अवधि में उक्त पद का कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो यह माना जायेगा कि आप उक्त पद का कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं। जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका ही होगा।

शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी अंकपत्रों एवं प्रमाणपत्रों में किसी भी स्तर पर यदि कोई कमी पाई जायेगी तो आपका नियुक्ति पत्र स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

भवदीय


(हरदास नरवरिया)

प्रबन्धक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करगवां (झॉंसी)

पृष्ठांकन सं०/

/2017-18

ता दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 23 एलनगंज इलाहाबाद।
- 2- शिक्षा निदेशक माध्यमिक 18 पार्करोड लखनऊ।
- 3- सयुक्त शिक्षा निदेशक झॉंसी मण्डल झॉंसी।
- 4- जिला विद्यालय निरीक्षक झॉंसी।
- 5- वित्त एवं लेखाधिकारी (माध्यमिक) जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय झॉंसी।

(हरदास नरवरिया)

प्रबन्धक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करगवां (झॉंसी)

श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय
 राष्ट्रीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय
 गोदावरी बास (अलवर)
 श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय
 Report-2016
 करे।

विषय: - शा. शिक्षक के पद पर कार्यग्रहण करवाने के
 क्रम में।

महोदय,
 उपरोक्त विषयान्वयित निवेदन है कि श्रीमान जि.शि.अ.
 (मा.) अलवर के आदेश क्रमांक जि.शि.अ./मा.प्र/अल/संस्था-1
 फा. शा.वि निम्नलिखित - 213/2016/854 दिनांक 06-06-16
 की अनुपालना में स्थानीय विद्यालय में शा. शिक्षक के पद पर
 निम्नलिखित आदेश जारी किया गया है।
 अतः उक्त आदेशानुसार आज दिनांक 11-06-2016 मध्याह्न
 पूर्व विद्यालय में उपस्थिति दी है।
 अतः शा. शिक्षक पद पर कार्यग्रहण करवाने की कृपा
 करे।

- संलग्न सूची -
- 1) 10वीं अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र प्रति
 - 2) 12वीं अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र प्रति
 - 3) B.Sc I, II, III वर्ष अंकतालिका प्रति एवं प्रमाण पत्र
 - 4) B.P.Ed अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र
 - 5) M.P.Ed अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र
 - 6) चरित्र प्रमाण पत्र (एकेडमिक/अन्य वर्ग)
 - 7) रवेल प्रमाण पत्र
 - 8) आविष्कृत वापस प्रमाण पत्र
 - 9) आदेश की प्रति
 - 10) निवास प्रमाण पत्र

अश्वीय
 रणजीत सिंह
 रजि.सि.सि. 6/03/16
 सिंह
 ग्राम - चकलसोम
 पो - फतेहपुर (अलवर)
 जिला - गाजीपुर (उ.प्र.)
 पिन - 233001

संशोधन विभाग द्वारा विज्ञान अधिकारी पदाधीन प्रथम क्रममें
सार्वजनिक प्रतियोगिता कायदा 1947-48
अनुसार संशोधन-3

क्र.सं.	संशोधन विभाग का क्र.सं.	संशोधन क्रमांक	नाम (पति/पत्नी का नाम)	वर्ग का नाम	श्रेणी	जन्म तिथि	पद का नाम	संशोधन विभाग	पद का नाम
1	6	544	DEVENDER SINGH/ RAMNIWAS YADAV	दीर्घादी शैक्षणिक, एम. बी.एस. विभाग, जिला अजमेर	BC	01/07/1977	GENM	संशोधन विभाग	Mandawa
2	7	588	AROOP SINGH/ DAYA RAM	एम. बी.एस. कायदा, एम. ए. मुंबई, जिला-अजमेर	BC	01/02/1978	GENM	संशोधन विभाग	Kokan
3	8	396	HARI DUET VASHISHTA/ DHARAM SIR	डी-188, बुध विभाग, अजमेर	GE	05/01/1984	GENM	ए. जे.पी. जे.पी. विभाग	KINGARHADI
4	9	423	BILLU RAM/ CHANPAT	एम. बी.एस. कायदा एम. बी.एस. विभाग अजमेर	BC	04/08/1974	GENM	ए. जे.पी. जे.पी.	Tijara
5	10	515	HTENDRA KUMAR/ SUDH RAM YADAV	एम. बी.एस. कायदा, एम. बी.एस. विभाग अजमेर	BC	03/03/1976	GENM	संशोधन विभाग	Bansar
6	11	522	HARIMOHAN SAINI/ MURLI MANOHAR SAINI	दीर्घादी शैक्षणिक, सी.एम. नं. 7, पदवी संशोधन-62 के पास, अजमेर	BC	04/02/1982	GENM	संशोधन विभाग	Darain
7	12	525	RAJJEET SINGH/ DALSINGAR SINGH	एम. बी.एस. कायदा, एम. बी.एस. विभाग-राजौर, जिला अजमेर	GE	10/07/1987	GENM	ए. जे.पी. जे.पी. विभाग कायदा	RAJGARH
8	13	529	MANOJ KUMAR/ NATHU RAM	एम. बी.एस. कायदा एम. बी.एस. विभाग अजमेर	BC	10/07/1979	GENM	संशोधन विभाग	Kokan
9	14	557	GURDEEP SINGH/ MAHENDRA SINGH	एम. बी.एस. कायदा एम. बी.एस. विभाग अजमेर	BC	21/08/1984	GENM	संशोधन विभाग	Kokan
10	15	587	GANGASAHAY YADAV/ SHIV LAL YADAV	एम. बी.एस. कायदा एम. बी.एस. विभाग अजमेर	BC	15/08/1990	GENM	ए. जे.पी. जे.पी. विभाग	LODHANAH
11	16	681	CHIRENDRA KUMAR/ ROHTASH SINGH	एम. बी.एस. कायदा एम. बी.एस. विभाग अजमेर	GE	06/08/1986	GENM	संशोधन विभाग	Tijara
12	17	704	UDAI SINGH/ MANOHAR LAL SAINI	दीर्घादी शैक्षणिक, अजमेर	BC	11/06/1983	GENM	ए. जे.पी. जे.पी. विभाग	KSHANGADI
13	18	711	UNESH KUMAR SAINI/ RADHEY SHYAM SAINI	दीर्घादी शैक्षणिक, सी.एम. नं. 88 के पास, अजमेर	BC	13/10/1979	GENM	संशोधन विभाग	Darain
14	19	720	HANUMAN SINGH YADAV/ HARI SINGH YADAV	एम. बी.एस. कायदा एम. बी.एस. विभाग अजमेर	BC	01/02/1980	GENM	संशोधन विभाग	Tijara
15	20	725	MUKESH CHAND SHARMA/ GENDA LAL SHARMA	ए. जे.पी. जे.पी. के पास संशोधन विभाग अजमेर	GE	10/02/1980	GENM	संशोधन विभाग	Dhangaji
16	21	757	SUNIL KUMAR MAHALA/ MAMRAJ SINGH	संशोधन विभाग कायदा एम. बी.एस. विभाग अजमेर	BC	07/11/1982	GENM	संशोधन विभाग	Tijara
17	23	765	OMPRAKASH YADAV/ CHOKHALA RAM YADAV	ए. जे.पी. जे.पी. के पास संशोधन विभाग अजमेर	BC	10/05/1981	GENM	संशोधन विभाग	Dhangaji
18	24	774	ANSHU KUMAR SHARMA/ KIRDA RAM SHARMA	दीर्घादी शैक्षणिक एम. बी.एस. विभाग अजमेर	GE	01/08/1986	GENM	संशोधन विभाग	Tijara
19	25	775	VISAY CHOUDHARY/ BALARAM	एम. बी.एस. कायदा एम. बी.एस. विभाग अजमेर	BC	21/03/1980	GENM	संशोधन विभाग	Bansar
20	26	780	AKASH KUMAR/ ANIL VERMA	एम. बी.एस. कायदा एम. बी.एस. विभाग अजमेर	GE	07/08/1990	GENM	संशोधन विभाग	Tijara

(Handwritten signature)
अजमेर
जिला शिक्षा

कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग, बिलासपुर छत्तीसगढ़

TARBHAR.email:-bsp.id18@gmail.com, phone No.07752-493695.

www.ideducationbsp.webs.com

आदेश

क./स्था.3/व्यायाम शिक्षक/ई संवर्ग/2591/2021/

बिलासपुर दिनांक-24/08/2021

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ आर नं 1103/2019/20-दो नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 09.03.2019 के द्वारा शिक्षकों के सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन, खण्ड तीन- प्रथम तल, नवा रायपुर, अटल नगर क./स्था.02/सीधी भर्ती/65/2020//355/ नवा रायपुर, दिनांक 21/09/2020 के अनुक्रम में विज्ञापित पदों पर सीधी भर्ती हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 21.11.2019 की वरीयता के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत व्यायाम शिक्षक के पद पर सातवें वेतनमान 9300-34800 वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिबीक्षा अवधि में व्यायाम शिक्षक ई संवर्ग के पद पर नियुक्त करते हुए, उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 05 में अंकित शाला में पदस्थ किया जाता है-

रैंक/रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	जाति वर्ग	पदांकित शाला का नाम	चयनित संवर्ग
1	2	3	4	5	6 7
517/ 13091192	RAVI KUMAR, FATHER - PARDESHI	HOUSE NO- 156 STREET- BHATHA PARA CITY- MUDPAR POST OFFICE- MUDPAR DIST-Bilaspur STATE- CHHATTISGARH PINCODE-495550	SC	यू आईस - 22070310907 शाला का नाम- शास.उ.मा. शाला भरारी विकासखंड- बिल्हा, जिला- बिलासपुर	SC


उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित नियम एवं शर्तों के अधीन होगी:-

- नियुक्त शिक्षक 10 सितम्बर 2021 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- नियुक्त शिक्षक संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों के मिलान के उपरांत ही पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे।
- छ.ग. शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनांक 29.07.2020 एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2020 के अनुसार परिबीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेंड देय होगा-
प्रथम वर्ष - वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष - वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
तृतीय वर्ष - वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत
- छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना दिनांक 05 मार्च 2019 की कंडिका 6 की उप कंडिका (5) के अनुसार सेवा में सीधी भर्ती से नियुक्त ई संवर्ग की वरिष्ठता सूची में शामिल होंगे। नियुक्त शिक्षक की वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित किया जायेगा।

(Handwritten signature)


1/3

5. शिक्षक द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध में दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर नियुक्ति अस्थायी रूप से प्रदान की जा रही है। अभ्यर्थी यह शपथ पत्र देंगे कि उनके विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, यदि पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो, संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय सेवा हेतु अनहर्ता/अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो, बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
6. नव नियुक्त शिक्षक द्वारा दी गयी जानकारी/ प्रमाण पत्र यदि गलत पाये जाते हैं तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
7. नव नियुक्त शिक्षक की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता आदि छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत शासित होगी।
8. नियुक्त शिक्षक की सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस देने के पहले तथा बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जायेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से ही बिना सूचना दिये सेवा छोड़ दी है तथा उसे एक माह का या सूचना अवधि में से जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि का वेतन का भुगतान करना होगा।
9. शिक्षक सीधी भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
10. पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करने के समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रति का एक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।
11. शिक्षक को 03 वर्ष तक पदांकित शाला में ही कार्य करना अनिवार्य होगा, उक्त अवधि में स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी। इस आदेश के अंतर्गत पदस्थापना संशोधन हेतु आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
12. नियुक्त शिक्षक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् 15 दिवस के भीतर जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। मेडिकल बोर्ड के द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में सेवा समाप्त कर दी जावेगी।
13. शिक्षक पद पर नियुक्ति माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्र. **wps 1081/2020, wps 3005/2020, wps 29/2021, wps 4034/2021**, एवं इससे संबंधित अन्य याचिकाओं में पारित आदेश के अध्याधीन होंगी।
14. पूर्व से शासकीय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी नियमानुसार शासकीय सेवा से त्यागपत्र/ कार्यमुक्त होने के पश्चात् ही नवपदस्थ संस्था में कार्यभार ग्रहण करेंगे।


 (आर.एस. चौहान)
 संयुक्त संचालक
 शिक्षा संभाग बिलासपुर
 छत्तीसगढ़

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ को सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर छ.ग. को सादर सूचनार्थ।
3. सचिव, छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग. को सादर सूचनार्थ।
4. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
5. महालेखाकार, विद्यानसभा रोड, जीरो पाइंट छत्तीसगढ़, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
6. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
7. आयुक्त बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
8. समस्त कलेक्टर बिलासपुर संभाग को सादर सूचनार्थ।
9. संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर / दुर्ग/बस्तर/सरगुजा को सूचनार्थ।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा संभाग बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. समस्त कोषालय/उप कोषालय अधिकारी, बिलासपुर संभाग छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
12. समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. संबंधित प्राचार्य/प्रधान पाठक शास.उ.मा.शाला भरारी वि.खं बिल्हा जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री- **RAVI KUMAR, FATHER- PARDESHI** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
15. कार्यालय गार्ड फाईल हेतु।


संयुक्त संचालक
शिक्षा संभाग बिलासपुर
छत्तीसगढ़

नवोदय विद्यालय समिति

(विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का एक स्वायत्त संस्थान)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
भारत सरकार

क्षेत्रीय कार्यालय, कर्पूरी ठाकुर सदन, केन्द्रीय कार्यालय
परिसर, ब्लॉक-ए और ब, 5वीं मंजिल,
आशियाना दीघा रोड, पटना - 800025
दूरभाष : 0612-2579920 / 2271092



NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI

(An Autonomous Organisation under
Deptt. of School Education and Literacy)
Ministry of Human Resource Development,
GOVT. OF INDIA

Regional Office, Karpuri Thakur Sadan,
Kendriya Karyalay Parisar, Block - A & B,
5th Floor, Ashiyana Digha Road,
Patna - 800025.

Tel : 0612-2579920/2271092

Fax: 0612-2268085

F 4-3/P& E/NVS(PTR)/2021/ 6007

Dated: 11.10.2021

E-MAIL

To,

Sh. Rashi Verma (Roll No 38169200016)

S/o Sh K.K. Verma

Vill- Mirdaspur, Po- Kurebhar

Dist Sultanpur Pin 228151 (U.P.)

Mobile No 7987626737

**Sub: Appointment to the post of P.E.T(Male) on direct recruitment basis under
Recruitment Drive- July 2019-Reg**

Sir/Madam,

Consequent upon your qualifying the written test followed by interview and select list published on the Samiti's website, you are hereby offered a temporary post of **P.E.T (Male)** in Navodaya Vidyalaya Samiti on the following terms and conditions.

1. Your initial pay in **Level 7** of the Pay Matrix of CCS (Revised Pay) Rules 2016 notified by the NVS Hqrs. Noida vide Samiti's notification No. 20-1/2017-NVS(Admn)/1739 dt. 21.07.2017 will be fixed in accordance with the normal rules and you will also, in addition, be eligible for the usual allowances admissible under the rules and orders of the organization in force from time to time.
2. You will be initially on probation for a period of two years from the date of your joining which may further be extended at the discretion of the competent authority. You will also have to undergo such training programme and other courses, as Samiti may prescribe, during the period of your probation. Successful completion of your probation is subject to the successful completion of aforesaid training programme/courses. Failure to complete the period of probation to the satisfaction of the competent authority will render you liable to discharge from service. Further during the period of probation your service can be dispensed with by the Samiti without assigning any reasons. While on probation, you will be required to give one month's notice of resignation in case you leave the Samiti.
3. Jawahar Navodaya Vidyalayas being fully residential institutions, the teachers are required to stay in the Vidyalaya campus. In addition to normal teaching duties, the teachers are required to perform additional responsibilities attached with residential system like House Mastership, remedial and supervisory studies, organization of co-curricular activities, escorting of students on migration and in general looking after students welfare. During the period of probation your performance in all these areas would also be assessed in addition to teaching ability to determine your suitability for the job.

4. There will be Zero Tolerance Policy in so far as sexual abuse and corporal punishment of students by employees is concerned. Any violation of this policy shall be dealt with in the strict possible manner. Apart from it, you will maintain a vigilant outlook and convey your apprehension or knowledge of sexual abuse of any student, if any, by anybody to the appropriate authority in the SVS at the earliest. You will be liable to sign a document describing the policies and procedures of the school to demonstrate understanding and agreement regarding same before joining as a teacher at the time of joining.

5. You will not be entitled for any traveling allowances for joining the place of your posting.

6. If the candidate is a woman, she should certify that she is not in the family way at the time of acceptance of appointment. If, however, she is pregnant of twelve weeks or more at the time of acceptance of appointment as a result of medical test, she will be declared temporarily unfit, the offer would be treated as withdrawn for the present and would be kept in abeyance until her confinement is over. She should indicate the expected date of her delivery. She would be medically re-examined and if declared fit six weeks after the date of delivery, her appointment would be renewed subject to production of medical fitness certificate from CMO. In case the candidate fails to comply with these instructions her candidature would not be considered and no further correspondence would be entertained in this regard from her. On production of medical fitness certificate, she would be appointed to the same post.

7. Your appointment will be subject to your being medically found fit by the Civil Surgeon/CMO of the District for appointment to the aforesaid post. This offer of appointment will be automatically treated as cancelled if you are not found medically fit. You are, therefore, required to produce your medical certificates of fitness from the Chief Medical Officer / Civil Surgeon at the time of joining. Medical Certificate from any other authorities will not be accepted.

8. On joining the post you will be required to take an oath of allegiance to the Constitution of India and make a solemn affirmation to this effect in the enclosed form.

9. The appointment will be further subject to the submission of a marital declaration in the form enclosed and in the event of your having more than one spouse living, the appointment will be subject to your being exempted from the enforcement of a requirement in this regard.

10. You shall declare your home town immediately on your joining the Samiti.

11. The appointment carries the liability to serve in any part of India. Further, One Mandatory tenure in North East Region and / or other Hard/Very Hard station is compulsory.

12. Other conditions of service will be governed by the relevant rules and orders in force from time to time in the Samiti.

13. You shall have to produce the following certificates in original along with attested copies thereof to the Principal of the Vidyalaya concerned at the time of joining:

- a) Post Graduation/ Graduation Degree/Diploma Certificate of Educational qualifications as per eligibility.
- b) Secondary School Certificate issued by the Board indicating your date of birth.
- c) Memorandum of marks of last year's final examination and other marks of intermediate examination as applicable.
- d) Discharge Certificates/relieving order from previous employer, if any.
- e) Scheduled caste/Scheduled Tribe Certificate/OBC/EWS certificate if applicable (in original) for verification.

f) OBC candidates must submit requisite certificate in the revised prescribed OBC certificate format enclosed herewith in accordance with the Govt. of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training OM No.36036/2/2013-Estt.(Res.) Dated 30.05.2014 from the District Magistrate/ Deputy Commissioner, clearly indicating therein the Resolution No. and date of Ministry of Social Justice & Empowerment by which the caste/ Community of the candidate has been included in the central list of OBCs and also the candidate does not belong to the reserved categories as per the list. With appropriate signature of the candidate.

g) Candidates selected under EWS category must produce the EWS certificate (in prescribed format) issued by the Competent Authority after cut off date of recruitment drive July 2019 (i.e. 09.08.2019) "Valid for year 2019 or 2019-20".

h) Medical certificate in r/o. Physically Handicapped (OH,VH) as per the Govt. of India orders.

i) Attestation form in duplicate (copy enclosed) duly filled and attested.

j) Details of family

k) Any other certificate (like experience, participation in National Level sports etc.) in original in support of entry made by you in your application.

14. If any declaration given or information furnished by you proves to be false or if you are found to have willfully suppressed any material information, you will be liable to be removed from services besides such other action as Samiti may deem necessary.

15. This appointment is subject to satisfactory report on verification of your character and antecedents by the District Magistrate of the district you belong. In case of any adverse report, your service will be terminated immediately.

16. Candidates should submit valid ID proof (Aadhar/Driving Licence/ PAN etc.).

17. The candidates having been posted at Hard or Very Hard Stations (H/VH as notified by NVS) shall have the priority to become eligible to seek transfer on request after completing the prescribed tenure of 3/2 years as applicable at such stations while all others will be governed by other case specific rules / provisions of NVS transfer policy.

18. The service matters of the employee will be in the jurisdiction of the concerned Regional Deputy Commissioner being the appointing Authority.

19. As the JNV allotted is final, no request for change in place of posting will be entertained under any circumstances. If any such request is made by the candidate concerned, it will be presumed that he/she is not interested in joining to the offered post and offer of appointment shall stand withdrawn automatically.

In case you accept the offer on the terms and conditions contained in this letter, you should report along with all original certificates and attested copies to the Principal JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, PLACE:- PIPRAKOTHI, P.O.:- PIPRAKOTHI, DISTRICT:- EAST CHAMPARAN, STATE- BIHAR, PIN-845429, on or before **25.10.2021** failing which this offer of appointment will stand automatically cancelled. No extension will be granted in joining time under any circumstances and no further correspondence in this regard will be entertained. As the Vidyalaya allotted is final no request for change of place of posting will be entertained.

This offer of appointment is provisional and is subject to verification of the documents and eligibility as per the recruitment rules and the advertisement of the Samiti by the Vidyalaya concerned.

Yours faithfully,

(M. MARIAPPAN)
DEPUTY COMMISSIONER

Encl: As above.

Copy to:

1. The Principal, JNV, Dist: East Champaran (Bihar) with the request to send the joining report of the said candidate/official immediately by mail. However, before allowing to join the said candidate it will be the sole & personal responsibility of the Principal for verification of the eligibility of the candidate as per Recruitment Rules to examine the documents as mentioned in Para 13 of the letter i.e. age, educational qualifications, percentage of marks, subject combination, experience, SC/ST/OBC/EWS/ differently abled certificate and other eligibility criteria for the said post. If there is any discrepancy, the candidate may not be allowed to join and the case may be referred back to RO. The original application of the candidate is enclosed.

2. The Deputy Commissioner (Pers), NVS(HQ), Noida — W.r.t office letter no. 1-9/2019-NVS(Estt-I)/TGT(V.III)-Misc.(Vol.II)/19781 dated 29.09.2021 - for information.

DEPUTY COMMISSIONER

कार्यालय संगमणीय संयुक्त संवातक,

लोक शिक्षण सरगुजा संभाग अधिकारपुर (छत्तीसगढ़)

PH.086, SARAGUDA - 472111, INDIA. E-MAIL: D.O. @ SANGAMONIYASUNJAYA.COM

CBSE आदेश CBSE

अधिकारपुर दिनांक 07 फरवरी 2022

क्र/श्या2/शि.बर्ती/Teacher (Physical Education) Cader-T / (1)/2020/7463 : : छत्तीसगढ़ शासन स्कूल विभाग भवानीय ,महानदी नगर अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एक आर नं. 1103/2019/20-बी अटल नगर दिनांक 09.03.2019 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनलय छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक / श्या/विश्रासन/सीबी बर्ती/2019/422-बी.ए. अटल नगर दिनांक 09.03.2019 के द्वारा विश्रासन जारी किया गया था। उ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी नगर नवा रायपुर के पत्र क्रमांक एक 12-22/2020/20-बी नवा रायपुर दिनांक 19.02.2021 के अनुक्रम में विज्ञापित पदों हेतु उ.ग. व्यापन द्वारा जारी परीक्षा परिष्माण दिनांक 21 नवम्बर 2019 की वरीयता के अन्तर्गत अनुसूचक सूची से आगके दस्तावेजों के संस्थापन उपरांत शैक्षणिक बचन संसिद्धि द्वारा हैठक दिनांक 03.02.2022 में बिचे गये अनुसंधान उपरांत सूची के सरल क्रमांक 1 पर दर्शाए अनुसार Teacher (Physical Education) Cader-T के पद पर आगके द्वारा कार्य भार धरन करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगगी आदेश तक तीन वर्ष की परीक्षा अवधि पर, शिक्षक वृत्तीय श्रेणी सातवें वेतनमान के वेतन कैडिबिस लेवल 08 के पद पर नियुक्त करते हुए उनकें नाम के संगमरुध कॉरैस नं. 08 में अंकित खाली में पररख किया जाता है :-

सैंद नं.	अस्थायी का नाम एव शैला/पति का नाम	जाति वर्ग	पता	पदाधिकृत शाला का नाम	बचानि त संवर्ग
34031011	ROHIT SINGH RAWAT, FATHER - BALWANT SINGH RAWAT	GEN	STREET - 1C/77 CITY/VILLAGE - BISHAMPUR COLONY, TABHEL-SURAMPUR, DIST. SURAMPUR, CHATTISGARH	NAME OF SCHOOL-Higher Secondary School DUMARIYA, BLOCK-SURAMPUR, DIST-SURAMPUR.	UR

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-

- नियुक्त शिक्षक 22 फरवरी 2022 तक पदाधिकृत शाला में कार्य भार ग्रहण करेंगे। निवारित तिथि तक कार्य भार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वतंत्र विरलस माना जायेगा।
- नियुक्त शिक्षक विकलात खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों के मिलान के उपरांत अनुमति प्राप्य कर पदाधिकृत शाला में कार्य भार ग्रहण कर सकेंगे। विशालय में कार्य भार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्य भार ग्रहण माना जायेगा।
- उ.ग.शासन शिवा विभाग द्वारा जारी शिवा निर्देश 21/2020 दिनांक 29.07.2020 एवं अधिकारपुर दिनांक 28.07.2020 के अनुसार सीबी बर्ती के पदों पर बचानित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्थापनेन्द देय होगा-
 प्रथमवर्ष-उस पद के वेतनमान के न्युनतम का 70 प्रतिशत
 द्वितीय वर्ष-उस पद के वेतनमान के न्युनतम का 80 प्रतिशत
 तृतीय वर्ष-उस पद के वेतनमान के न्युनतम का 90 प्रतिशत
 परन्तु परीक्षा अवधि में स्थापनेन्द के साथ अन्य गते शासकीय सेवक की तरह प्राप्य होने शिक्षक के पद पर नियुक्ति तीन वर्ष की परीक्षा पर तथा अस्थायी होगी। परीक्षा अवधि को संकलता पूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उचित एवं पर्याप्त कारणों के आधार पर परीक्षा अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेंगी।

- उ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग की अधिकारपुर दिनांक 05 मार्च 2019 की कठिका 6 की उप कठिका (5) के अनुसार सेवा में सीबी बर्ती से नव नियुक्त शिक्षक, नं (एल.बी)/टी (एल.बी) सरगर् की परिष्णता सूची में शामिल होने।

- नव नियुक्त शिक्षक की वरिष्ठता व्यापन द्वारा जारी मीटिंट सूची के क्रम में निर्धारित की जायेगी तथा वरिष्ठता निर्धारण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
5. यह नियुक्ति अस्थाई द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध में दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर अंतिम रूप से प्रदान की जा रही है। अन्यथा यह शपथ पत्र देते हैं कि उनके हित्त्व कोई अपरतिम प्रकल्प दर्ज नहीं है, यदि पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो संबंधित अस्थाई को शासकीय सेवा हेतु अर्ह / अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो बिना किसी सूचना के उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेंगी।
 6. नियुक्त अस्थाई द्वारा दी गयी जानकारी / प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज यदि गलत पाये गये तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से मुक्त किया जा सकेगा तथा उनके हित्त्व भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अर्धीन कार्यवाही की जा सकेगी।
 7. नव नियुक्त शिक्षक की परीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम 1968 एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अधीन) नियम 1968 के अंतर्गत शासित होगा।
 8. उपरोक्त नियुक्त शिक्षक श्री सेक्टर किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने से पहले तथा बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्वसूचना के अनुपस्थित रहेंगा तो यह समझा जायेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उसे एक माह का या नोटिस अवधि में से जितना अवधि कम हो उतनी अवधि का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा।
 9. प्रभाषित किया जाता है कि शिक्षक नहीं में आक्षण नियमों का पालन किया गया है तथा यह नियुक्ति व्यापन द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के रैंक के आधार पर पात्रतानुसार की गई है।
 10. पदाधिकार शाखा में कार्य भार ग्रहण करने के समय सम्स्त शैक्षणिक एवं अन्य संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रति का एक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।
 11. संबंधित शिक्षक को 03 वर्ष तक पदाधिकार शाखा में ही कार्य करना अनिवार्य होगा उक्त अवधि में स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी। इस आदेश के अंतर्गत पदस्थापना संशोधन हेतु आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
 12. नियुक्त शिक्षक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् 15 दिवस के भीतर जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड से फिटनेश प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। मेडिकल बोर्ड के द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
 13. उपरोक्त नियुक्ति आदेश माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय विलासपुर में लैबित याचिका उल्हू.पी.सी 3063/2020, 1081/3005/2020, 29/2021, 4043/2021, 4472/591/592/593/594 वर्ष 2021 उल्हू.पी.एस 10511/2019 तथा 08/2020 तथा किसी न्यायालय में लैबित अथवा भविष्य में दायर किसी भी प्रकारण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अस्थाईन होगा।
 14. पूर्व से शासकीय सेवा में कार्यरत अस्थाई नियमानुसार शासकीय सेवा में त्यागपत्र / कार्य नुक्त होने के पश्चात् ही नवपदस्थ संस्था में कार्य भार ग्रहण करेंगे।"

(हस्ताक्षर)

संयुक्त संचालक

लोक शिक्षण विभाग

सरगुजा, अधिकारपुर (छ.ग.)

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, सरगुजा संभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
6. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इन्द्रावती भवन, अटल नगर को सूचनार्थ।
7. समस्त कलेक्टर, सरगुजा संभाग की ओर सूचनार्थ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सरगुजा संभाग की ओर सूचनार्थ।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी सरगुजा संभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. प्राचार्य डाईट, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ।
11. समस्त जिला कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी, सरगुजा संभाग को सादर सूचनार्थ।
12. समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ एवं चयनित शिक्षक के द्वारा आपके कार्यालय में उपस्थित होने के दिनांक को ही विद्यालय में कार्यभार ग्रहण हेतु अनुमति प्रदान करें ताकि चयनित शिक्षक को विलम्ब न हो।
13. समस्त प्राचार्य, शा.उ.मा.वि./हाईस्कूल, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चयनित शिक्षक के समस्त दस्तावेजों का परीक्षण अपने स्तर से करने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे।
14. समस्त प्रधान पाठक, माध्यमिक शाला, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. संबंधित श्री/श्रीमती/कुमारी ROHIT SINGH RAWAT, STREET- 1C/77, CITY/Village- BISHRAMPUR COLONY, TEHSIL- SURAJPUR, DISTT.-SURAJPUR, CHATTISGARH को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
16. कार्यालय गार्ड फाईल फोल्डर हेतु।


संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण शिक्षा
सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.)

Mongolpuri, Block D GBSSS-1412130
 Directorate of Education, Delhi
 (Govt. of NCT of Delhi)
 Joining Order

Order No: F.NO.4/F.IV/RECT.PET(P.CADE210/14)/2018
 Pt.F-1/944-955

Appointment Date:
 01/09/2018

Mr./Ms. **SANDEEP KUMAR GUPTA -20182025**, has joined at **Mongolpuri, Block D GBSSS-1412130**, as **PET** on **01/09/2018**.



MAHESH KUMAR
VICE PRINCIPAL

Vice Principal
 Govt. Boys Sr. Sec. School
 D-Block, Mongolpur, Delhi-83

Endorsement No.: F.NO.4/F.IV/RECT.PET(P.CADE210/14)/2018 Pt.F-1/944-955

Copy Forwarded to:-

- ✓(1) Employees Concerned
- (2) RD Concerned
- (3) DD Concerned
- (4) EO Concerned
- (5) AO (Estt./GOC) Concerned
- (6) AAO Concerned Accounts Branch
- (7) PAO Concerned
- (8) Schools Concerned
- (9) Incharge (Computer Cell), Dte. of Education
- (10) Concerned Employee's Personal File
- (11) P.S. To DE, Dte. of Education
- (12) PS To Secretary Education
- (13) Guard File
- (14) Services Department
- (15) Concerned Department


Vice Principal
MAHESH KUMAR
VICE PRINCIPAL

**कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़)**

PHONE NUMBER - 97774 - 230233 EMAIL ID - edu.j.s.r.guja@gmail.com

६० आदेश ६२

अम्बिकापुर दिनांक 10/12/2021

क्र/स्था.2/शि.भर्ती/(E) Teacher (Physical Education)/(1)/2020/6203 ; छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ आर नं. 1103/2019/20-दो अटल नगर दिनांक 09.03.2019 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक /स्था/विज्ञापन/सीधी भर्ती/2019/422-पी.ए. अटल नगर दिनांक 09.03.2019 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 12-22/2020/20-दो नवा रायपुर दिनांक 19.02.2021 के अनुक्रम में विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक- 21-Nov-19 की बरीयता के आधार पर आपके दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत **Teacher (Physical Education)** के पद पर आपके द्वारा कार्य भार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, शिक्षक तृतीय श्रेणी सातवें वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल 08 के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 03 में अंकित शाला में पदस्थ किया जाता है।

रोल नं./अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम/वर्ग	पता	पदांकित शाला का नाम	चयनित संवर्ग
1	2	3	4
13091027 SANJU THAKUR, FATHER - VIRENDRA SINGH CAT.- GEN	H.NO.- E-381, STREET- KAILASH VIHAR, CITY- HTPS COLONY, POST- JAMNIPALI, TEHSIL- KATGORHA, DIST.- KORBA, (CHHATTISGARH)	NAME OF SCHOOL- Higher Secondary School RANAI, BLOCK- BAIKUNTHPUR, DISTT.- KOREA	UR_E X

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-

- नियुक्त शिक्षक 28 दिसम्बर 2021 तक पदांकित शाला में कार्य भार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि तक कार्य भार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा। नियुक्त शिक्षक दिनांक 28 दिसम्बर 2021 के पूर्व संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों के मिलान के उपरांत अनुमति प्राप्त कर पदांकित शाला में कार्य भार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्य भार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्य भार ग्रहण माना जायेगा।
- छ.ग.शासन वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनांक 29.07.2020 एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2020 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपैन्ड देय होगा:-
 प्रथम वर्ष- चयनित पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
 द्वितीय वर्ष- चयनित पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
 तृतीय वर्ष- चयनित पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत
 परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपैन्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। शिक्षक के पद पर नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा पर तथा अस्थायी होगी। परिवीक्षा अवधि को सफलता पूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उचित एवं पर्याप्त कारणों के आधार पर परिवीक्षा अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।

3. छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना दिनांक 05 मार्च 2019 की कड़िका 6 की उप कड़िका (5) के अनुसार सेवा में सीधी भर्ती से नव नियुक्त शिक्षक, ई (एल.बी.)/टी (एल.बी.) सर्ग की वरिष्ठता सूची में शामिल होंगे।
नव नियुक्त शिक्षक की वरिष्ठता संभागीय अंतिम चयन सूची के क्रम में निर्धारित की जायेगी तथा वरिष्ठता निर्धारण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जावेगा।
4. यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध में दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर अंतरिम रूप से प्रदान की जा रही है। यदि पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय सेवा हेतु अनर्ह/अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो बिना किसी सूचना के उसकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।
6. नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा दी गयी जानकारी /प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज यदि गलत पाये गये तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रायधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
7. नव नियुक्त शिक्षक की परीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत शासित होगा।
8. उपरोक्त नियुक्त शिक्षक की सेवाएँ किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एव जमें एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस देने से पहले तथा बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जायेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उसे एक माह का या नोटिस अवधि में से जितना अवधि कम हो उतनी अवधि का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा।
9. प्रमाणित किया जाता है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है तथा यह नियुक्ति व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के रैंक के आधार पर पात्रतानुसार की गई है।
10. पदांकित शाला में कार्य भार ग्रहण करने के समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रति का एक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।
11. संबंधित शिक्षक को 03 वर्ष तक पदांकित शाला में ही कार्य करना अनिवार्य होगा उक्त अवधि में स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी। इस आदेश के अंतर्गत पदस्थापना संशोधन हेतु आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
12. नियुक्त शिक्षक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् 15 दिवस के भीतर जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। मेडिकल बोर्ड के द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में सेवा समाप्त कर दी जावेगी।
13. उपरोक्त नियुक्ति आदेश माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में लंबित याचिका **WP(S) 1091/2020, WP(S) 3005/2021, WPPIL 29/2021, WP(S) 3036/2020, WP(C) 591/592/593/594 वर्ष 2012, WP(S) 2502/2021, WP(S) 2507/2021, WP(S) 2536/2021, WP(S) 3781/2021, WP(S) 1991/2021, एवं WP(S) 2331/2021** तथा किसी न्यायालय में लंबित अथवा भविष्य में दायर किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अधधीन होगा।
14. पूर्व से शासकीय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी नियमानुसार शासकीय सेवा में त्यागपत्र/कार्य मुक्त होने के पश्चात् ही नवपदस्थ संस्था में कार्य भार ग्रहण करेंगे।

(बी.ए.का.)
संभागीय संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण शिक्षा
सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.)

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, सरगुजा संभाग अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
6. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इन्द्रावती भवन, अटल नगर को सूचनार्थ।
7. समस्त कलेक्टर, सरगुजा संभाग, की ओर सूचनार्थ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सरगुजा संभाग की ओर सूचनार्थ।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी सरगुजा संभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ।
11. प्राचार्य डाईट, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ।
12. समस्त जिला कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ।
13. समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ एवं चयनित शिक्षक के द्वारा आपके कार्यालय में उपस्थित होने के दिनांक को ही विद्यालय में कार्यभार ग्रहण हेतु अनुमति प्रदान करें ताकि चयनित शिक्षक को विलम्ब न हो। चयनित शिक्षक के पदांकित संस्था में संबंधित विषय का पद रिक्त न होने की स्थिति में कार्यभार ग्रहण न कराते हुए अभ्यर्थी को मूलतः संभागीय कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें।
14. समस्त प्राचार्य, शा.उ.मा.वि./हाईस्कूल, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चयनित शिक्षक के समस्त दस्तावेजों का परीक्षण अपने स्तर से करने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे। चयनित शिक्षक के पदांकित संस्था में संबंधित विषय का पद रिक्त न होने की स्थिति में कार्यभार ग्रहण न कराते हुए अभ्यर्थी को मूलतः संभागीय कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें।
15. समस्त प्रधान पाठक, माध्यमिक शाला, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. संबंधित श्री/श्रीमती/कुमारी-SANJU THAKUR, H.NO. ,STREET- KAILASH VIHAR, CITY- HTPS COLONY, POST- JAMNIPALI, TEHSIL- KATGORHA, DISTT.-KORBA, CHHATTISGARH को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
17. कार्यालय गार्ड फाईल फोल्डर हेतु।

संभागीय आयुक्त संचालक
लोक शिक्षण शिक्षा
सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.)

नवोदय विद्यालय समिति

क्षेत्रीय कार्यालय, शिलांग

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

टेम्पल रोड, बारिक प्वाइंट

लछुमिरे, शिलांग - 793001



NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI

REGIONAL OFFICE, SHILLONG

Ministry of Education, Govt. of India

(Deptt. of School Education & Literacy)

Temple Road, Barik Point

Lachumiere, Shillong - 793001

E-mail: dcnvsroshillong@gmail.com, Website: <https://navodaya.gov.in/nvs/ro/Shillong/en/home/index.html>

Phone: 0364 - 2500331, Fax: 0364 - 2500335

F.No. PERS.2-7/2020-21/NVS[SHR]/Estt.I/ 2857

Dated: 16.10.2021

Regd. Post/Email

To,

Mr./Ms.: Sita Devi

C/O Vidya Dhar

Address: Hilauli, P.O. Hilauli, Purwa

District:- Unnao Uttar Pradesh-209821

Email Id : sita32411@gmail.com

Contact Number: 8765143007

Category : OBC

Subject : Appointment to the post of Physical Education Teacher-Female on direct recruitment basis under Recruitment Drive - July-2019 (Selection Category-OBC)-regarding.

Sir/Madam,

With reference to your candidature for the post of **Physical Education Teacher-Female**, you are hereby offered a post of **Physical Education Teacher-Female**, on temporary basis in NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI (NVS) on the following terms and conditions:-

1. The scale of Pay attached to the post of **Physical Education Teacher-Female** is Level 7 (**Rs.44900-142400**) in pay matrix of 7th CPC. Your initial pay in this scale will be fixed as per Govt. of India Rules. You will also be eligible for the usual allowances admissible under the rules and orders of the organization in force from time to time.
2. You will be initially on probation for a period of two years from the date of appointment extendable at the discretion of the Competent Authority. You will also have to undergo such training programme and other courses, as Samiti may prescribe, during the period of your probation. Successful completion of your probation is subject to the successful completion of aforesaid training programme/courses. Failure to complete the period of probation to the satisfaction of the Competent Authority or being found unsuitable for the post during probation period will render you liable to be discharged from service anytime without any notice and assigning any reasons thereto.
3. Your appointment will be subject to your being **medically found fit by the Civil Surgeon / CMO of the District** for appointment to the aforesaid post. This offer of appointment will be automatically treated as cancelled, if you are not found medically fit. You are, therefore, required to produce your medical

certificate of fitness from the CMO at the time of joining. **Medical certificate from any other authority will not be accepted.**

4. This appointment is subject to satisfactory report on verification of your character and antecedents by the District Magistrate of the district you belong to. In case of any adverse report, your service will be terminated immediately.
5. On appointment, you will be required to take an oath of allegiance to the constitution of India and make a solemn affirmation to that effect in the enclosed form.
6. The appointment will be further subject to the submission of a marital declaration in the form enclosed and in the event of your having more than one spouse living, the appointment will be subject to your being exempted from the enforcement of a requirement in this regard.
7. Jawahar Navodaya Vidyalayas being fully residential institutions, the teachers are required to stay in the Vidyalaya campus. In addition to normal teaching duties, the teachers are required to perform additional responsibilities attached with residential system like House Mastership, remedial and supervisory studies, organization of co-curricular activities, escorting of students on migration and in general looking after students' welfare. During the period of probation your performance in all these areas would also be assessed in addition to teaching ability to determine your suitability for the job.
8. There will be zero Tolerance Policy in so far as sexual abuse of students by employees is concerned. Any violation of this policy shall be dealt with in the strictest possible manner. Apart from it, you will maintain a vigilant outlook and convey your apprehension or knowledge of sexual abuse of any student, if any, by anybody to the appropriate authority in the NVS at the earliest. You will be liable to sign a document describing the policies and procedures of the school to demonstrate understanding and agreement regarding your Code of Conduct as a teacher at the time of joining.
9. You will not be entitled for any travelling allowances for joining the place of your posting.
10. If the candidate is a woman, she should certify that she is not in the family way at the time of acceptance of appointment. If, however, she is pregnant of twelve weeks or more at the time of acceptance of appointment as a result of medical test, she will be declared temporarily unfit; the offer would be treated as withdrawn for the present and would be kept in abeyance until her confinement is over. She would be medically re-examined and if declared fit six weeks after the date of delivery, her appointment would be renewed subject to production of medical fitness certificate from CMO. She should indicate the expected date of her delivery. In case the candidate fails to comply with these instructions, her candidature would not be considered and no further correspondence would be entertained in this regard from her. On production of medical fitness certificate, she would be appointed to the same post.
11. You shall declare your home town within a period of six months of your joining the duty in Navodaya Vidyalaya Samiti.
12. NVS prima facie follows Govt. of India rules in vogue mutatis mutandis on service matters.
13. The appointment carries the liability to serve in any part of India.



14. Other conditions of the service will be governed by the relevant rules and orders in force from time to time in the Samiti.
15. You shall have to produce the following certificates in original along-with attested copies thereof to the Principal of the Vidyalaya concerned at the time of joining:-
 - a. Degree /Diploma Certificate of Educational qualification.
 - b. Secondary School / SSL Certificate issued by the Board indicating your date of birth.
 - c. Memorandum of marks of Graduation Degree / Post of Graduation Degree.
 - d. Discharge Certificates/relieving order from previous employer, if any.
 - e. Scheduled caste/Scheduled Tribe Certificate/OBC/EWS Certificate if applicable (in original) for Verification.

OBC candidates must submit requisite certificate in the revised prescribed format enclosed herewith in accordance with the Govt. of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training OM No. 36036/2/2013-Estt.(Res.) Dated 30.05.2014 from the District Magistrate/ Deputy Commissioner clearly indicating there in the Resolution No. and date of Ministry of Social Justice & Empowerment by which the caste/ community of the candidate has been included in the central list of OBCs and also the candidate does not belong to the persons/sections (creamy layer) mentioned in column 3 of the schedule to Govt. of India. Non-submission of OBC certificate in the aforesaid manner shall be treated as automatic withdrawal of offer of appointment.

- f. EWS certificate, if applicable. EWS candidate must submit the requisite certificate in prescribed format.
 - g. Medical certificate i.r.o. Physically Handicapped (OH.HH, VH) as per the Govt. of India orders.
 - h. Attestation form in triplicate duly filled and attested.
 - i. Details of family.
 - j. Family Dependency Declaration in the prescribed format
 - k. Any other certificate (like experience, participation in National Level sports etc.) in original in support of entry made by you in your application.
16. If any declaration given or information furnished by you proves to be false or if you are found to have willfully suppressed any material information, you will be liable to be removed from services besides such other action as Samiti may deem necessary.
 17. Candidates should submit valid Id proof (Aadhar Card/Driving License / PAN Card, etc.)
 18. No request for change of place of posting will be entertained under any circumstances. If any such request is made, it will be presumed that he/she is



not interested in joining and offer of appointment shall stand withdrawn automatically.

19. The candidates must scrupulously follow the instructions & guidelines being issued by Central/ State/Ministry of MHA (Ministry of Home affairs)/District Administration with regard to lockdown and Corona Pandemic situation.
20. On your joining in NVS, you will be mandatorily covered by the New Pension Scheme. However, if you are already an NVS employee then your case will be covered by the existing NVS policies/instructions in this regard.
21. You shall have to complete one mandatory tenure in the North East Region.

In case you accept the offer on the terms and conditions contained in this letter, you should report for joining to the **Principal, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Vill Alamganj Part IX, PO Alamganj, Distt. Dhubri, Assam-783339** within 15 days from the date of issue of this offer of appointment. Therefore, you are directed to come well prepared with all the aforementioned documents/certificates, etc. failing which this offer of appointment will stand automatically cancelled. Your joining, however, will be subject to production of medical fitness certificate from CMO. No extension will be granted in joining time under any circumstances and no further correspondence in this regard will be entertained.

Yours faithfully,



(K. V. Suresh)

Deputy Commissioner I/c

Encl: As above.

Copy to:

1. The Principal, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Vill Alamganj Part IX, PO Alamganj, Distt. Dhubri, Assam-783339 for information and with a request to ensure the following.
2. Furnish a copy of joining report of the said candidate on his/her joining in Vidyalaya immediately on email: nvsroadmn@gmail.com. However, before allowing joining the said candidate, it will be the sole & personal responsibility of the Principal for verification of the eligibility of the candidate as per **Recruitment Rules dated 14.11.2018 and advertisement notification dated 6th -12th July, 2019. (Copy enclosed)**
3. The cutoff date to examine the documents as mentioned in Para 13 of the letter i.e. age, educational qualification, percentage of marks, subject combination, experience, SC/ ST/ OBC certificate and other eligibility criteria for the said post is **09.08.2019 as specified in the advertisement dated 6th -12th July, 2019**. If there is any discrepancy, the candidate may not be allowed to join and the case may be referred back to RO for further action.
4. The Police verification of the candidate has to be done within one month of his/her joining by sending the original copy of Attestation form to the concerned District



Superintendent of Police/District magistrate of the District concerned. One copy of Attestation Form may be retained in Vidyalaya duly filled in and signed.

5. It may also be ensured that at the time of joining the following certificates/document/nominations/ etc. is obtained from the candidate duly filled in and signed.
- a. Certificates of educational qualification.
 - b. Format of Acceptance of Offer of appointment.
 - c. Attestation Form (in duplicate).
 - d. Home Town Declaration.
 - e. Medical Certificate duly signed by Civil Surgeon/CMO of District Hospital in prescribed form along with declaration of the candidate.
 - f. Declaration of Marital Status.
 - g. Caste Certificate from concerned State Authority, if applicable.
 - h. Oath of Allegiance to the Constitution.
 - i. Details of Family particulars.
 - j. Details of dependent family members.
 - k. Nomination Form of GISLIS.
 - l. NPS Registration Form.
 - m. Undertaking for Protection of Children from Sexual Offence Act 2012.
 - n. Relieving Order from the concerned authority in case of Govt. Semi Govt. Autonomous/Public undertaking employees.
 - o. Certificate of **EWS (Economically Weaker Sections)**. EWS Certificate issued after cutoff date of recruitment drive July, 2019 (i.e 09-08-2019) but if the certificate had been marked as "Valid for the year 2019 or 2019-20", the same may be accepted as valid certificate.
 - p. Principal should obtained an undertaking/affidavit from the candidate before allowing him/her to join that no **FIR** or any Court case (criminal/civil) is registered/pending against him/her. If statement/information furnished by him/her proves to be false or found to have willfully suppressed any material information, he/she will be liable to be removed from the services besides such other action as Samiti may deem fit.
 - q. Candidates marked "**Provisional Eligible**" on account of non-submission of requisite degree are to be treated as eligible after obtaining an undertaking from the candidate concerned for submission of degree certificate as & when received, but it should be ensured that mark sheet(s) of requisite degree course(s) are available in the folder of the candidate concerned.

The personal folder of the candidate is enclosed herewith.



Deputy Commissioner I/c



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार/Min. of HRD, Govt of India)
संभागीय कार्यालय, कोलकाता/REGIONAL OFFICE, KOLKATA
ई.वी. ब्लॉक, सेक्टर-1, लाबोनी, साल्ट लैक,
EB Block, Sector-1, Laboni, Salt Lake,
कोलकाता - 700064/Kolkata - 700064

☎ (033) 23376998 (DC) / 23219490 (ACs) / 23596099 (AO/EO)
E-mail:kvskolkata@yahoo.co.in/ Web:www.kvsrokkolkata.org.in

25053/TGT/2019-KVS (Kol)/Admn/ 81712

Date :- 05.03.2019
SPEED POST

MEMORANDUM

SUB: - OFFER OF APPOINTMENT TO THE POST OF TGT (P&HE)

With reference to his/her application, Mr/Mrs/Ms. SUNIL KUMAR is hereby informed that he/she has been selected for appointment against a temporary post of TGT (P&HE) in the Kendriya Vidyalaya Sangathan in the pay matrix/(level 07(Seven) (7th CPC) and posted at the Kendriya Vidyalaya Durbin, Kalimpong, Distt.: Darjeeling - 734301, West Bengal [Ph No 03552-283256 / FAX 03552-283648] in Kolkata Region under East Zone. He/she will draw allowances and other benefits as admissible to the employees of Kendriya Vidyalaya Sangathan. This offer of appointment is subject to the candidate producing Medical certificate of fitness issued by a District Medical officer or a medical officer of equivalent status.

2. If the candidate is a woman, she should certify that she is not in the family way at the time of acceptance of the appointment. If, however, she is pregnant of twelve weeks standing or more as a result of medical test at the time of acceptance of appointment, it will be opened to candidate herself to seek exemption from joining the appointed post for the duration till her confinement is over, if she desires so. Furthermore, the affected woman candidate, in such a situation, who expresses her willingness to join, may be asked to produce a certificate of fitness from Chief Medical Officer (CMO) of Govt. Hospital that she is fit to carry out the assigned work in her present state.
3. No TA/DA will be admissible for first joining the Sangathan as TGT (P&HE)
4. He/she will be on probation for a period of 02 years which may be extended. Upon successful completion of probation, he/she will be confirmed as per the rules of Kendriya Vidyalaya Sangathan.
5. During the probation and thereafter, until he/she is confirmed, the services of appointee are terminable. The appointing authority reserves the right to terminate the services of the appointee at any point of time during the probation period without assigning any reason thereof.
6. Other terms and conditions of service governing the appointment are as laid down in the Education Code for Kendriya Vidyalayas amended from time to time. A Welfare Scheme namely Kendriya Vidyalaya Sangathan Employees Welfare Scheme has been introduced from 01.4.2002. Joining the above scheme is compulsory.
7. He/she will be eligible for the new Restructured Defined Contribution Pension Scheme only as circulated by KVS (HQ) vide circular No.2-17/2003-04/KVS(Budget) dated 08/12.03.2004 and F 2-17/2003-04/KVS(Budget) dated 24.12.2004.
8. The appointment is provisional and is subject to the certificate(s) of Scheduled Caste/Scheduled Tribe etc. Other Backward Classes/Physically Handicapped/ Blind being verified through the proper channel. If the verification reveals that the claim to SC/ ST/ OBC/PH/Blind as the case may be, is false, the services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code for production of false certificates.
9. He/ she will fill up the character and antecedents verification form along with recent photograph and will hand over the same to the Principal concerned.
10. In case of any dispute or claim against the Kendriya Vidyalaya Sangathan, in respect of service or any contract arising out of or flowing from this offer of appointment, the Courts of Delhi alone shall have jurisdiction.
11. As per the modified eligibility criteria laid down by the NCTE for those teachers who have been appointed to teach classes from I to V on the basis of B.Ed degree shall mandatorily undergo a six months Bridge Course in elementary education recognized by the NCTE within two years of such appointment as Primary Teacher.

(Note- This Admit card provisionally allows to
by you in the online application
eligibility will be scrutinized)

12. If he/she accepts the offer on the terms and conditions as mentioned in this offer letter, he/she should join the Kendriya Vidyalaya mentioned overleaf on or before 26.03.2019. Necessary proforma for the purpose are enclosed which should be submitted to the Principal concerned, after getting the same duly completed at the time of joining. **If the offer is not accepted or the appointee does not report for duty at the above named Vidyalaya by 26.03.2019 this offer of appointment will automatically stand cancelled and no further correspondence will be entertained from him/ her in this regard.**
13. Suppression of any information will be considered a major offence for which the punishment may extend to dismissal from the services.
14. He/she will not request for transfer within three years of initial appointment or as per the transfer guidelines of Kendriya Vidyalaya Sangathan.
15. He/she has been allotted East Zone.
16. For subsequent promotion, the incumbent will have to acquire academic and professional degree from recognized University, as per application rules and regulations.
17. If he/she accepts the offer of appointment then he/she has to execute a Service Agreement cum Surety Bond in favour of Kendriya Vidyalaya Sangathan on the non-judicial stamp paper of the value as per State Rules to this effect that he/she has agreed to serve the KVS for a period of minimum two years from the date of joining which includes the period of probation including extended period if any. **He/she is agreed to pay Rs. 2,00,000 (Rupees Two lac only) to the Kendriya Vidyalaya Sangathan if he/she commits breach of this agreement.** This bond shall be executed at the time of joining of services of KVS and shall be submitted to the KVS in the standard format (Standard Bond format is enclosed).
18. The following documents are to be submitted mandatorily to the KVS at the time of joining. The formats are enclosed alongwith this letter.
 - I. Service Agreement cum guarantee bond on non-judicial stamp paper of the value as per State rules in original.
 - II. Character and Antecedents verification form along with 03 recent photographs.
 - III. Medical fitness certificate issued by the District Medical Officer or a medical officer of equivalent status.
 - IV. Acceptance of appointment offer.
 - V. Oath of allegiance.
 - VI. Statement of movable and immovable properties and liabilities.


DEPUTY COMMISSIONER

Encl. As above.

SUNIL KUMAR
V.P.O - Bharauli, PS - Narhi,
Distt. Balia, UP, PIN - 277501.
Copy forwarded to :-

1. The Principal, Kendriya Vidyalaya, In case Sh/Smt/Ms. accepts the offer of appointment, he/she should be relieved immediately with the instructions to join his/her new post under intimation to the concerned Principal/RO. If the appointee is not working at present in this Vidyalaya, this memorandum may be sent to the concerned Vidyalaya forthwith under intimation to RO and Sangathan (HQ).
2. The Principal, Kendriya Vidyalaya Durbin, Kalimpong, Distt.: Darjeeling - 734301, West Bengal [Ph No 03552-283256 / FAX 03552-283648]. The date of joining of the candidate may be intimated to the Regional Office concerned immediately after the candidate reports for duty. In case he/she does not join by the stipulated date, this office should be informed accordingly on e-mail. This appointment is further subject to production of certificates etc., as per Article 46 of Education Code for Kendriya Vidyalayas. The candidate be allowed to join his/ her duties only after verification of the eligibility and educational qualification etc from their original certificates, and on submission of requisite forms/ statements duly completed in all respects. Those appointed under SC/ST/OBC/PH/Blind quota may be allowed to join duties only on production of original certificate mentioned in para 8 of the order. Principals are also requested to check the original certificates in respect of the qualifications of the appointee employees and satisfy themselves that the appointee possesses requisite qualification for the post he/ she is appointed to.


DEPUTY COMMISSIONER

(Hindi version overleaf. However in case of any discrepancy in translation, the English version shall prevail)



CG02000737_21J (...)

**NATIONAL TESTING AGENCY**

Excellence in Assessment

E-certificate No: 20D/21039415

University Grants Commission**NATIONAL ELIGIBILITY TEST FOR ASSISTANT PROFESSOR**

NTA Ref. No: 210510746982

Ref No: CG02000737

Certified that **S SWAPNIL IYENGAR**Son/Daughter of **ARADHANA IYENGAR**and **S K SHESHADRIVASAN IYENGAR**

has qualified

the UGC-NET for eligibility for Assistant Professor held on **21-11-2021**

for December 2020 and June 2021 (merged session) in the subject

Physical Education

As per information provided by the candidate, he/she had completed/appeared or was pursuing his/her Master's degree or equivalent examination in the related subject at the time of applying for UGC-NET.

The date of eligibility for Assistant Professor is the date of declaration of UGC-NET result, i.e., **19-02-2022**, or the date of completion of Master's degree or equivalent examination with required percentage of marks within two years from the date of declaration of UGC-NET result, i.e. by **18-02-2024**, whichever is later.

This is an electronic certificate only, its authenticity and integrity in which the candidate had appeared should be verified from National Testing Agency (NTA) by the institution/appointing authority. This electronic certificate can also be verified by scanning the QR Code.

The validity of this electronic certificate is forever.

Date of issue: 12-03-2022

Jalarnakar
Senior Director, NTA

Note: NTA has issued the electronic certificate on the basis of information provided by the candidate in his/her online Application Form. The appointing authority should verify the original records/certificates of the candidate while considering him/her for appointment, as the NTA will not be liable for any false information provided by the candidate. The NTA is only responsible for the result which can be verified from the repository available in the website of NTA (ugcnet.nta.nic.in). The candidate must fulfil the minimum eligibility conditions as laid down in the notification for UGC-NET.



DETAILS

Exam :	Result of Chhattisgarh State Eligibility Test (SET) 2019
SUBJECT :	PHYSICAL EDUCATION
ROLL NO. :	133468074
REGISTRATION ID :	SET196807419099
CANDIDATE NAME :	SWARNA TIWARI
GENDER :	F
RELATIVE'S NAME :	ANIL TIWARI
CATEGORY	GEN
CLASS :	
DATE OF BIRTH	08/07/1994
CG Domicile	YES

MARKS AND STATUS

Paper-I (Out of 100 Marks) :	45.833
Paper-II (Out of 200 Marks) :	119.588
Total Marks (Out of 300 Marks) :	165.421
Percentage (%) :	55.14
Status :	Eligible for Assistant Professor

[Print](#)



कालीचरण पी० जी० कालेज

हरदोई रोड, चौक, लखनऊ - 226003

(उ०प्र० सरकार द्वारा अनुदानित एवं लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त)

E-mail : (i) kalicharanpgcollegelko@gmail.com (ii) principal@kcpzglko.in

Website : www.kcpzglko.in

पत्रांक : KCPGL560-66/2019-20

दिनांक : 12-05-2020

सेवा में,

श्री मुकेश कुमार मिश्रा,

पुत्र श्री सुभाष चन्द्र मिश्रा,

ग्राम - महकनी (MAHAKANI),

पो० - कटरा मेदनीगंज, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश

विषय:- असिस्टेंट प्रोफेसर, शारीरिक शिक्षा के पद हेतु नियुक्ति पत्र।

महोदय,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्रांक : डिग्री अर्थ-1 (आयोग)/687/2019-20 दिनांक 28.02.2020 जो महाविद्यालय कार्यालय को 21/03/2020 को प्राप्त हुआ के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि आपकी नियुक्ति विज्ञापन सं०- 47 के अंतर्गत कालीचरण पी०जी० कालेज, लखनऊ में असिस्टेंट प्रोफेसर, शारीरिक शिक्षा के पद पर वेतनक्रम रू. 15600-39100 ग्रेडपे 6000 के सापेक्ष 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल-10 रू. 57700 में की गयी है। योगदान तिथि से 01 वर्ष की अवधि परिवीक्षाकाल की रहेगी एवं इस अवधि की सेवा सन्तोषप्रद पाये जाने के फलस्वरूप ही प्रबन्ध समिति द्वारा स्थाईकरण किया जायेगा। आपको समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये गये अन्य लाभ एवं भत्ते प्रदान किये जायेंगे।

मुझे यह भी सूचित करना है कि आपको परिवीक्षा अवधि में किसी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा अपना वेतन भुगतान शासन द्वारा किया जायेगा। आपको समय-समय पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रबन्धक द्वारा निर्गत आदेश का पालन करना होगा।

आपकी नियुक्ति सेवा के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये शिक्षा निदेशक/शासकीय नियमों के अधीन होगी तथा निर्धारित "कोड आफ कान्डक्ट" आपको पूर्णतया मान्य होगा।

पत्र प्राप्ति के 21 दिन के अन्दर महाविद्यालय आकर अपने समस्त प्रमाण पत्रों के मूल व हस्ताक्षरित छायाप्रति एवं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ महाविद्यालय के प्राचार्य से सम्पर्क कर योगदान की कार्यवाही करें। यदि आपने उक्त अवधि में अपना योगदान नहीं किया तो यह माना जायेगा कि आप इस महाविद्यालय में सेवा करने के इच्छुक नहीं हैं।

(इ० वी०के० मिश्र) 12/5/20

प्रबंधक

Manager
Kalicharan P.G. College
Lucknow

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उ०प्र०, प्रयागराज
2. सचिव, उ०प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रयागराज
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ
4. कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
5. प्राचार्य, कालीचरण पी०जी० कालेज, लखनऊ

(इ० वी०के० मिश्र)

प्रबंधक

// कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बेरला //
जिला- बेमेतरा (छ.ग.)

E-mail :- beo.berala@gmail.com

ज्ञाप क्रमांक /

/स्था. 02 / शिक्षक / सीधी भर्ती / 2021 /

बेरला दिनांक-

प्रति,

प्राचार्य
शा. कन्या उ.मा.वि. बेरला
वि.ख. - बेरला, जिला बेमेतरा

विषय :- नव नियुक्त व्यायाम शिक्षक को कार्यभार ग्रहण कराने बाबत।

संदर्भ :- कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा का ज्ञाप क्र./5161/स्था02/शिक्षक/सीधी भर्ती/2021-22 बेमेतरा, दिनांक 02.09.2021

—00—

उपरोक्त संदर्भित विषयानुसार लेख है कि कु. वन्दना लाउत्रे, D/O - सालिक राम लाउत्रे, का शिक्षक ई-संवर्ग व्यायाम शिक्षक के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिबीक्षा अवधि पर शासकीय कन्या उ.मा.वि. बेरला, वि.ख. बेरला में होने के फलस्वरूप संबंधित ने अपनी उपस्थिति इस कार्यालय में आज दिनांक 02.09.2021 को दी है।

उपस्थिति उपरान्त पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 02.09.2021 को आपके संस्था के लिए कार्यमुक्त किया जा रहा है। आप संबंधित को कार्यभार ग्रहण करावें एवं पालन प्रतिवेदन तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें।

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी
बेरला, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

बेरला दिनांक-02.09.2021

पृ. क्र./1132/स्था. 02 / शिक्षक / सीधी भर्ती / 2021 /

प्रतिलिपि:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कु. वन्दना लाउत्रे को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी
बेरला, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा

संभाग-दुर्ग

जिला पंचायत के सभने, जी.ई. रोड दुर्ग, छ.ग.

Phone : 0788-2962296

E-mail : jddurg18@gmail.com

क्रमांक / स्था.03 / शिक्षाक / सीधी भर्ती / ई संवर्ग / 2021 / 6722 दुर्ग, दिनांक 24/08/2021

// आदेश //

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ आर नं. 1103/2019/20-दो अटल नगर दिनांक 09.03.2019 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर के पत्र क्रमांक/स्था./विज्ञापन/सीधी भर्ती/2019/422-पी.ए. अटल नगर दिनांक 09.03.2019 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 21.11.2019 की वरीयता के आधार पर दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत शिक्षक ई संवर्ग, विषय व्यायाम शिक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परीक्षा अवधि पर शिक्षक अराजपत्रित तृतीय श्रेणी सातवें वेतनमान के वेतन में ट्रिक्स लेवल 08 के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 5 में अंकित शाला में पदस्थ किया जाता है:-

रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	जाति वर्ग	पता	पदांकित शाला का नाम	चयनित संवर्ग
1	2	3	4	5	6
25151275	VANDANA LAUTRE/SALIK RAM LAUTRE	SC	KALI BADI, BUDHATALAB, RAIPUR POST-RAIPUR, PIN CODE- 492001, DISTRICT- Raipur, CHHATTISGARH	शा.उ.मा.शाला कन्या बेरला, विकासखण्ड- बेरला, जिला- बेरला	UR F

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-

- चयनित शिक्षक 15 सितम्बर 2021 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वयं निरस्त माना जायेगा।
- चयनित शिक्षक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों के मिलान के उपरांत संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों का मिलान करायेगे, तदुपरांत ही पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक शाला में कार्यभार ग्रहण माना जायेगा।
- छ.ग. शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनांक 29.07.2020 एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2020 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टाफपेन्ड देय होगा-
 - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
 - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
 - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत
 परन्तु परीक्षा अवधि में स्टाफपेन्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। शिक्षक के पद पर नियुक्ति तीन वर्ष की परीक्षा पर तथा अस्थायी होगी। परीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उचित एवं पर्याप्त कारणों के आधार पर परीक्षा अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना दिनांक 05 मार्च 2019 की कंडिका 6 की उप कंडिका (5) के अनुसार सेवा में सीधी भर्ती से नबनियुक्त शिक्षक ई (एल.बी.)/टी (एल.बी.) संवर्ग की वरिष्ठता सूची में शामिल होगी।



Employee Code 23200190070

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH OFFICE OF THE
PRINCIPAL GOVERNMENT GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL, BERLA DISTRICT - BEMETARA CHHATTI

Bill Unit 6		P A Y S L I P		
DDO Code/Emp ID:	2320019 / 111	Month:	09/2021	BillGross/NetAmount:
Name:	VANDANA LAUTRE	Bank/CNo.:	32539489387	PRAN:
Designation:	SPORTS TEACHER E.	Emp Code:	23200190070	Bill No. & Dt:

Drawals		Deductions/Recoveries		
Basic-22302				GPF/DP
		D.A.-3791	HRA-945	Other AIL-600
			Med.AIL-200	
GrossSal-27838		TotalDed-2909		NetSal-24929

Cut Here ————— Cut Here ————— Cut Here



नवोदय विद्यालय समिति

(निजी नवोदय का एक स्वायत्त संस्थान, कक्षा शिक्षण के
मार्फत शिक्षा) भारत सरकार,

क्षेत्रीय कार्यालय

135, गेट नं 02 अलकापुर, अनामोल (मड) 402024

Phone : 0755-2480367, 2480343, 2489946 email nvsrebpl.pers@gmail.com and nvsrebpl@gmail.com



NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI

(An Autonomous Organization under Ministry of
Education, Deptt of School Education and Literacy
Govt. of India)

Regional Office

A 135, Gate No 02, Alkapur, Sh. S. D. C. (M) 402024

No. F. 26.1/2021/NVS(BPL)/Pers./Recr./ 3-85

Dated: 26/10/2021

BY REGISTERED POST

Roll No.: 9218210091

To,

Ms. Vasudha Aditya,

D/o. Sh. P.K. Aditya

Kiran-Kunj, Raman Nagar, Ward No 98

Janjgir-Champa(C.G.) E-mail : vasudhaaditya29@gmail.com

**Subject: APPOINTMENT TO THE POST OF PET(FEMALE) ON DIRECT RECRUITMENT BASIS UNDER
RECRUITMENT DRIVE-JULY-2019 - REG.**

Sir/Madam,

Consequent upon your qualifying the Computer Based Test (CBT) followed by interview and select list published on the Samiti's website, you are hereby offered a temporary post of **PET(FEMALE)** in Navodaya Vidyalaya Samiti, on the following terms and conditions:

- 01 The Pay Band (Pre-revised) attached to the post is **Pay Scale in Level 7 (Rs. 44900-142400/-) of C Pay Matrix as per 7th Pay Commission**. Your initial pay in this scale will be fixed in accordance with the normal rules and you will also, in addition, be eligible for the usual allowances admissible under the rules and orders of the organization in force from time to time.
- 02 You will be initially on probation for a period of two years from the date of your joining which may further be extended at the discretion of the competent authority. You will also have to undergo such training programme and other courses, as Samiti may prescribe, during the period of your probation. Successful completion of your probation is subject to the successful completion of aforesaid training programme/courses. Failure, to complete the period of probation to the satisfaction of the competent authority, will render you liable to discharge from services. Further during the period of probation your service can be dispensed with by the Samiti without assigning any reasons. While on probation you will be required to give one month's notice of resignation in case you leave the Samiti.
- 03 Jawahar Navodaya Vidyalayas being fully residential institutions, the teachers are required to stay at the Vidyalaya campus. In addition to normal teaching duties, the teachers are required to perform additional responsibilities attached with residential system like House Mastership, remedial and supervisory studies, organization of co-curricular activities, escorting of students on migration and general looking after students welfare. During the period of probation your performance in all these areas would also be assessed in addition to teaching ability to determine your suitability for the job.
- 04 There will be Zero Tolerance Policy in so far as sexual abuse of students by employees is concerned. Any violation of this policy shall be dealt with in the strictest possible manner. Apart from it, you will maintain a vigilant outlook and convey your apprehension or knowledge of sexual abuse of a student, if any, by anybody to the appropriate authority in the NVS at the earliest. You will be liable to sign a document describing the policies and procedure of the school to demonstrate understanding and agreement regarding your Code of Conduct as a teacher at the time of joining.
- 05 You will not be entitled for any traveling allowances for joining the place of your posting.
- 06 Your appointment will be subject to your being medically found fit by the Civil Surgeon/CMD of District for appointment to the aforesaid post. This offer of appointment will be automatically treated as cancelled if you are not found medically fit. You are, therefore, requested to produce your medical certificates of fitness from the CMO at the time of joining. Medical Certificate from any other authorities will not be accepted.

- 07 If the candidate is a woman, she should certify that she is not in the family way at the time of acceptance of appointment. If, however, she is pregnant of twelve weeks or more at the time of acceptance of appointment as a result of medical test, she will be declared temporarily unfit, the offer would be treated as withdrawn for the present and would be kept in abeyance until her confinement over. She would be medically re-examined and if declared fit six weeks after the date of delivery, her appointment would be renewed subject to production of medical fitness certificate from CMO. She should indicate the expected date of her delivery. In case the candidate fails to comply with the instructions her candidature would not be considered and no further correspondence would be entertained in this regard from her. On production of medical fitness certificate, she would be appointed to the same post.
- 08 On joining the post you will be required to take an oath of allegiance to the Constitution of India and make a solemn affirmation to this effect in the enclosed form.
- 09 The appointment will be further subject to the submission of a marital declaration in the form enclosed and in the event of your having more than one spouse living, the appointment will be subject to your being exempted from the enforcement of a requirement in this regard.
- 10 You shall declare your home town immediately on your joining the Samiti.
- 11 The appointment carries the liability to serve in any part of India.
- 12 Other conditions of service will be governed by the relevant rules and orders in force from time to time in the Samiti.
- 13 You shall have to produce the following certificates in original alongwith self attested copies thereof to the Principal of the Vidyalaya concerned at the time of joining:
- Degree / Diploma Certificate of Educational qualification.
 - Secondary School / SSL/Higher Secondary Certificate issued by the Board indicating your date of birth.
 - Memorandum of marks of three years of degree.
 - PG degree certificate and marksheet.
 - Discharge Certificates/relieving order from previous employer, if any.
 - Scheduled caste/Scheduled Tribe Certificate/OBC/EWS Certificate if applicable (in original) for verification.
 - OBC candidates must submit requisite certificate in the revised prescribed form enclosed herewith in accordance with the Govt. of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training OM No. 36036/2-2014 Est.(Res.) Dated 30.05.2014 from the District Magistrate/Deputy Commissioner etc. indicating therein the Resolution No. and date of Ministry of Social Justice & Empowerment by which the caste/ community of the candidate has been included in central list of OBCs and also the candidate does not belong to the persons section (creamy layer). Non-submission of OBC certificate in the aforesaid manner shall be treated as automatic withdrawal of offer of appointment.
 - Medical certificate i.r.o. Physically Handicapped (OH, VH) as per the Govt. of India orders.
 - Attestation form in duplicate duly filled and attested.
 - Details of family.
 - Any other certificate (like experience, participation in National Level sports etc.) in original in support of entry made by you in your application.
- 14 One mandatory tenure in North East Region and/or at other hard/very hard station is compulsory.
- 15 JNV allotted on appointment is final and no request for change in place of posting will be entertained under any circumstances. If any such request is made by the candidate concerned, it will be presumed that he/she is not interested in joining to the offered post and offer of appointment shall stand withdrawn automatically.

Sm

16. If any declaration given or information furnished by you proves to be false or if you are found to have willfully suppressed any material information, you will be liable to be removed from services besides such other action as Samiti may deem necessary.
17. This appointment is subject to satisfactory report on verification of your character and antecedents by the District Magistrate of the district you belong. In case of any adverse report, your service will be terminated immediately.
18. As regards to movement from your present place to the place of post, movement may be undertaken by keeping in mind the prevailing instructions & guidelines being issued by Centre/State/Ministry of MHA with regard to lockdown and Corona Pandemic situation and the same should be scrupulously followed.
19. Principal concerned should obtain an undertaking/affidavit from the candidates concerned before allowing him/her to join that no FIR or any court case (Criminal/Civil) is registered/Pending against him/her. If statement/information furnished by him/her proves to be false or found to have willfully suppressed any material information, he/she will be liable to be removed from the services besides such other action as Samiti may deem fit.

In case you accept the offer on the terms and conditions contained in this letter, you should communicate your acceptance (through your employer, if any), so as to reach the undersigned within 7 days with a copy to the Principal concerned and report to the **Principal, Jawahar Navodaya Vidyalaya, DISTRICT PANCHAYAT RESOURCE CENTER, ITPAL, POST AND DISTT., DISTT. BUAPUR (C. G.) - 494444, Phone No. 9437242733, 797835495** before 6th November 2021 failing which this offer of appointment will stand automatically cancelled. No extension will be granted in joining time under any circumstances and no further correspondence in this regard will be entertained.

Encl: As above.

Yours faithfully,

[P.S.SARDA]
Deputy Commissioner

Copy to:

01. The Principal, Jawahar Navodaya Vidyalaya, DISTRICT PANCHAYAT RESOURCE CENTER, ITPAL, POST AND DISTT., DISTT. BUAPUR (C. G.) - 494444 - with the request to send the joining report of the said candidate / official within 7 days of his/her joining in Vidyalaya. However, before allowing to join the said candidate, it will be the sole & personal responsibility of the Principal for verification of the eligibility of the candidate as per Recruitment Rules to examine the documents as mentioned in Para 13 of the letter i.e. age, educational qualification, percentage marks, subject combination, experience, SC/ST/OBC/EWS/PH certificate and other eligibility criteria for the said post. If there is any discrepancy, the candidate may not be allowed to join and the case may be referred back to RO for further action. The original application of the candidate is enclosed. The original application of the candidate is enclosed.
02. The Deputy Commissioner (Pers.), NVS(HQ), NOIDA: - w.r.t. his letter No. 1-9:2019-NV, Est./TGT(V.III)/MISC.(VOL.II).19779 dated 29.09.2021 - for favor of information.
03. PF of employee concerned.

[P.S.]
Deputy Commissioner



G G V Puja Di
2 minutes ago



कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़)

संशोधित आदेशावली
(त्रुटि सुधार)

अम्बिकापुर विभाग 19/12/2021
20/12/2021

अ/सं. 2/ विभागीय/ टी. Teacher (Physical Education) / (1) / 2020 / 8148 : संशोधित आदेश
संयुक्त शिक्षण विभाग संभागीय संचालक अम्बिकापुर विभाग अम्बिकापुर के पद अर्थात् पद का नाम नं.
1103/2019/20-वीं अंशक नंबर दिनांक 20.07.2020 के अनुसार में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़
अम्बिकापुर के पद अर्थात् / सं. विभाग/ सीटी नं./ 2019/422-वीं अंशक नंबर दिनांक 20.07.2020 के
द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। अंततः संयुक्त शिक्षण विभाग संभागीय संचालक अम्बिकापुर के
पद अर्थात् पद नं. 19-22/2020/20-वीं अंशक नंबर दिनांक 20.07.2020 के अनुसार में विज्ञापित पदों हेतु ए.
न. अंशक द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक- 21-Nov-19 की शर्तों के अन्तर्गत पद अर्थात् पदों के
समाप्ति परमाणु Teacher (Physical Education) के पद पर अर्थात् द्वारा कार्य पद पर करने के
दिनांक में अम्बिकापुर के आरक्षण अंशक नंबर एन सी की परिशिष्ट अर्थात् पर शिक्षक पूर्णकालीन स्थायी
वैधानिक के वेतन सैलरी सेक्टर 28 के पद पर नियुक्त करने हुए अम्बिकापुर के संयुक्त संचालक नं. 22 के
अंशक आदेश में परामर्श किया जाता है।

पद नं./अम्बिकापुर का नाम एवं पिता/पति का नाम/वर्ग	पता	पदभारित स्थान का नाम	वर्गीकृत वर्ग
13319794 YIDAL LAKKA, FATHER - ALHEL LAKKA CAT- ST	KUMH - KUMH, KATTURA, STREET - KATTURA, CITY - KATTURA, POST - KATTURA TERSE, DISTRICT - KATKI, (JHATTEDGARH)	NAME OF SCHOOL - Higher Secondary School KOTRA BLOCK - DUDHIA DIST - JASHPUR	ST

संशोधित आदेशावली में संशोधन करने के लिए :-

- नियुक्त शिक्षक 20 दिसम्बर 2021 तक पदभारित स्थान में कार्य पद पर करने; निर्दिष्ट तिथि तक कार्य पद पर करने न करने पर पद अंशक नम्बर दिनांक आदेश जारी। नियुक्त शिक्षक दिनांक 20 दिसम्बर 2021 के पूर्व संशोधित विज्ञापन संचालक शिक्षण विभाग अम्बिकापुर के अम्बिकापुर के विभाग में उपरोक्त अनुमति प्राप्त कर पदभारित स्थान में कार्य पद पर करने; विज्ञापन में कार्य पद पर करने के दिनांक को ही आरक्षण अंशक नंबर के कार्य पद पर करने भूला जायेगा।
- अंततः संयुक्त शिक्षण विभाग द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक 21/12/2020 दिनांक 20.07.2020 एवं अम्बिकापुर विभाग 20.07.2020 के अनुसार जारी पदों के पदों पर वर्गीकृत आरक्षण अंशक नंबर एन सी की परिशिष्ट अंशक में निम्नानुसार स्थायीकृत देय होगा:-
प्रथम वर्ग- वर्गीकृत पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
द्वितीय वर्ग- वर्गीकृत पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
तृतीय वर्ग- वर्गीकृत पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
परन्तु परिशिष्ट अंशक में स्थायीकृत के साथ अन्य भले आरक्षण अंशक की तरह प्राप्त होंगे शिक्षक के पद पर नियुक्त होने की परिशिष्ट पर तथा अम्बिकापुर होगी। परिशिष्ट अंशक को

Page 1/3
Handwritten signature

कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, फरसाबहार, जिला-जशपुर
(छ0ग0)


//आदेश//

क्रमांक / /स्था./वि.ख.शि.अ./2021-22 फरसाबहार, दिनांक 15.12.2021

कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़)के आदेश क्रमांक /स्था-02/ शिक्षक भर्ती(टी)व्यायाम शिक्षक/2020-21/6131 अम्बिकापुर दिनांक 10.11.2021 के अनुसार श्री विवेक साय पिता श्री आनंद साय को व्यायाम शिक्षक के पद पर शासकीय उ0मा0वि0 मेंडरबहार विकास खण्ड फरसाबहार जिला जशपुर छ. ग. में पदस्थ किया गया है। उक्त आदेश के परिपालन में संबंधित के द्वारा दिनांक 15.12.2021 को अपनी उपस्थिति कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

आज दिनांक 15/12/2021 अपराह्न पूर्व श्री विवेक साय व्यायाम शिक्षक को शासकीय उ0मा0वि0 मेंडरबहार विकास खण्ड फरसाबहार जिला जशपुर छ.ग. में कार्य करने के लिए कार्यमुक्त किया जाता है।


(यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा)


विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी
फरसाबहार
जिला-जशपुर (छ0ग0)

पृ0क्र0 / 1453 / स्था./वि.ख.शि./21-22 फरसाबहार, दिनांक 15.12.2021

प्रतिलिपि :-

1. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-जशपुर (छ0ग0) को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. प्राचार्य शासकीय उ0मा0वि0मेंडरबहार विकास खण्ड फरसाबहार जिला जशपुर को सूचनार्थ।
4. कार्यालयीन लेखा शाखा को सूचनार्थ।
5. संबंधित श्री विवेक साय व्यायाम शिक्षक शासकीय उ0मा0वि0 मेंडरबहार विकास खण्ड फरसाबहार जिला जशपुर छ.ग. को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी
फरसाबहार
जिला-जशपुर (छ0ग0)